



# मोदी सरकार

4

साल विकास के...  
... संकल्प और विश्वास के



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
भारत सरकार



श्री राधा मोहन सिंह  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री



श्री परशोत्तम रूपाला  
कृषि एवं किसान कल्याण  
राज्यमंत्री



श्रीमती कृष्णा राज  
कृषि एवं किसान कल्याण  
राज्यमंत्री



श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत  
कृषि एवं किसान कल्याण  
राज्यमंत्री

**स्वस्थ धरा, खेत हरा**



### Agri Research

**795** high yielding climate resilient crop varieties/hybrids of field crops released during last 4 years compared to 448 varieties during 2010-14

Established **35 Oilseeds, 150 pulses seed hub** to produce quality seeds.



### Green Revolution

**9.36%** increase in foodgrains output. 279.51 million tonnes in 2017-18 (Third advance estimate) over 5 years average (2010-11 to 2014-15) : 255.59 million tonnes

**Pulses 36.09%** increase in pulses output. 24.51 million tonnes in 2017-18 (3rd advance estimates) over 5 years average (2010-11 to 2014-15) : 18.01 million tonnes.



### Horticulture Production

Increased by **15.37%** i.e. 305.46 million tones in 2014-18 over 5 years average of 2010-15 : 264.99 MT



### Agri Cooperation

**155.58 %** increase in released amount to support to Cooperative Sector in terms of grant and loan during 2014-18 over 2010-14



**White Revolution**  
In comparison to 2010-14, growth in milk production during 2014-18 is **23.69%**



### Blue Revolution

In comparison to 2010-14, growth in fisheries production during 2014-18 is

**26.01%**

Target to produce 15 million metric tonnes by 2020-21



### Agri Education

#### 5th Deans Committee

Recommendations implemented in all agricultural universities from 2016-17


Degrees in Agriculture & allied subjects declared "professional degree".

Honorarium in Student Ready Program for agricultural graduate students enhanced from Rs. 750 to 3000/month

National Talent Scholarship for gaudate students enhanced from Rs. 1000 to Rs. 2000/ month




## खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन (2017-18)



2017-18 का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन पिछले 5 वर्ष (2010-11 से 2014-15) के औसत से 9.36 प्रतिशत है।

## मोदी सरकार द्वारा बजटीय आवंटन अधिक किया गया



बजटीय आवंटन के अलावा कॉर्पोस फंड का प्रावधान :

- सूक्ष्म सिंचाई परियोजना—रु. 5,000 करोड़ (वर्ष 2017-18)
- डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (DIDF)—रु. 10,881 करोड़

वर्ष 2018-19 में घोषित

- कृषि बाजार अवसंरचना विकास कोष—रु. 2,000 करोड़
- मत्स्य एवं जलजीव विज्ञान अवसंरचना विकास कोष—रु. 2,450 करोड़
- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष—रु. 7,550 करोड़

## विषय सूची

### कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन	2
परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)	4
उत्तरपूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक वैल्यू चेन विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)	6
राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)	7
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	9
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	11
बागवानी विकास	13
नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी)	17
राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी)	18
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	19
बीज	21
राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी)	22
किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, पूसा नई दिल्ली	24
कृषि यंत्रीकरण	26
पौध संरक्षण	27
लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी)	29
कृषि ऋण प्रवाह	31
नेफेड की उपलब्धियां	32
कृषि वानिकी उपमिशन	33
राष्ट्रीय बांस मिशन	34
मॉडल कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग एक्ट 2018	35
मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लिजिंग एक्ट, 2016	36
सूखा प्रबंधन—आपदा राहत उपायों में परिवर्तन	37
कृषि व्यापार	38
महलानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी)	39
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)	40
कृषि विस्तार एवं कृषि में कौशल विकास	44
एग्री क्लीनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम (एसीएबीसी)	45
इनपुट डीलरों का प्रशिक्षण (डेसी)	46
आत्मा योजना	47
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई)	48
स्वच्छता पखवाड़ा	49

## पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग

डेयरी विकास : राष्ट्रीय गोकुल मिशन एवं राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मिशन	51
डेयरी विकास	54
राष्ट्रीय पशुधन मिशन	56
पशुपालन अवसरचना विकास निधि	57
पशुधन स्वास्थ्य	58
पशुचिकित्सा शिक्षा	59
मात्स्यिकी-नीली क्रांति	60
मछुआरा कल्याण	61
व्यापार — हमारी प्राथमिकता	64
कृषि उन्नति मेला	65

## कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

उच्चतर कृषि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति	66
किसानों की आय दोगुनी करने हेतु भाकृअप की नई पहलें	74
प्रयोगशाला से खेत तक: प्रमुख पहलें	79
नवीन आईसीटी (सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी) ऐप्स एवं पोर्टल	87
नए आईसीएआर पुरस्कार स्थापित	87
जलवायु अनुकूलनशीलता और टिकाऊ कृषि उत्पादकता हेतु पहलें	88
आय और पोषणिक सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक कृषि प्रौद्योगिकियाँ	93

## किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कार्यनीति

सात सूत्री कार्यनीति	99
----------------------	----

### अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग  
[www.agricoop.nic.in](http://www.agricoop.nic.in)


पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग  
[www.dahd.nic.in](http://www.dahd.nic.in); [www.dadaf.gov.in](http://www.dadaf.gov.in)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  
[www.icar.org.in](http://www.icar.org.in)

किसानों के लिए पोर्टल  
[www.farmer.gov.in](http://www.farmer.gov.in)

किसानों के लिए मोबाइल सेवाएं  
[www.mkisan.gov.in](http://www.mkisan.gov.in)

किसान कॉल सेंटर  
1800 180 1551




# मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन



## 1. सॉयल हेल्थ कार्ड (एसएचसी)

- सॉयल हेल्थ कार्ड योजना 19 फरवरी, 2015 में शुरू की गई थी।
- खेत स्तर पर मिट्टी परीक्षण के लिए यह एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है।
- देश के सभी भूधारी किसानों को हर दो वर्ष में सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किये जाएंगे।
- मिट्टी परीक्षण आधारित पोषण प्रबंधन को विकसित और बढ़ावा देने के लिए।
- इसका द्वितीय चक्र 1 मई, 2017 से शुरू हुआ है।
- दोनों चक्रों में 14.20 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को वितरित किये जा चुके हैं।

## सॉयल हेल्थ कार्ड का वितरण




31.03.2018 तक प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र में कुल 14.20 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए।

- प्रथम चक्र में 7.27 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। एवं 10.7 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं।
- द्वितीय चक्र में सॉयल हेल्थ कार्ड का पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है तथा 14 मई 2018 तक 3.5 करोड़ किसानों को पंजीकृत कर सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं।




सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19 फरवरी, 2015 को सूरतगढ़ (राजस्थान) में किया गया।



## 2. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना (एसएचएम)


- इस योजना के तहत नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और मौजूदा प्रयोगशालाओं का सृष्टीकरण एवं उर्वरक उपयोग की क्षमता में सुधार के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

### मंजूर की गई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (अचल+चल+मिनी- प्रयोगशालाएं)



वर्ष 2010-14 में केवल 43 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं थी जो बढ़कर वर्ष 2014-18 में 9243 हो गयी।

### मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के तहत जारी की गई धनराशि



वर्ष 2010-14 में राज्यों को जारी रुपये 55.95 करोड़ की राशि के मुकाबले वर्ष 2014-18 में रुपये 1234.97 करोड़ जारी, इसमें 22 गुना वृद्धि हुई है।

# परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

## इस योजना के मुख्य उद्देश्य—

- एकीकृत और जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालियों पर आधारित प्राकृतिक संसाधन को बढ़ावा देना।
- मृदा उर्वरता को बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा बाजार से खरीदी हुई इनपुट पर किसानों की निर्भरता को कम करना।
- किसानों की कृषि लागत को कम करना ताकि किसान की भूमि की प्रति इकाई शुद्ध आय में वृद्धि हो।
- कम लागत वाली पारंपरिक तकनीकों और किसान अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर अजैविक रसायनों से पर्यावरण की सुरक्षा करना।
- उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन तथा प्रमाणीकरण प्रबंधन की क्षमता के साथ क्लस्टर और समूहों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना।
- किसानों का एकत्रीकरण द्वारा किसान समूहों का गठन, भूमि को जैव कृषि में परिवर्तन करना, वर्मीकंपोस्ट इकाई की स्थापना और जैव उत्पादों पर लेबल अथवा ब्रांड निशान लगाने के लिए सहायता।
- सरकार द्वारा परम्परागत संसाधनों, पर्यावरण हितैषी, कम लागत प्रौद्योगिकियों आदि के उपयोग के साथ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना।

- समूह के प्रत्येक किसान को 3 वर्ष की अवधि के दौरान रु. 50,000 प्रति हैक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। 20 हैक्टेयर के 10,000 जैविक क्लस्टरों को विकसित किया जायेगा।
- जैविक उत्पाद के संग्रहण और बाजार तक परिवहन के लिए प्रत्येक क्लस्टर को रु. 1,20,000 वित्तीय सहायता प्रदान करना।

## पीकेवीवाई स्कीम के तहत जैविक खेती के लाभ

- कृषि की लागत में 20 प्रतिशत तक कमी।
- लागत में कमी के कारण कुल लाभ में 20—50 प्रतिशत तक की वृद्धि।
- जनजातिय, वर्षा सिंचित, पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में जैविक क्षेत्र में वृद्धि की संभावना।


## सिविकम : भारत का प्रथम ऑर्गनिक राज्य



17 जनवरी 2016, को गंगटोक, सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक सम्मेलन का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन।




## परम्परागत कृषि विकास योजना : कलस्टरों की संख्या



परंपरागत कृषि विकास योजना केन्द्र सरकार की पहली व्यापक योजना है। अब तक 10,000 समूहों के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है।

## परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत आवंटित राशि



परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत चार वर्षों में आवंटित राशि रुपये 947 करोड़ वितरित की गई


## नीम-कोटेड यूरिया

मृदा स्वास्थ्य में सुधार, कीट और बीमारी के हमले में कमी जिससे पौध-संरक्षण रसायनों के उपयोग में कमी, फसल पैदावार में समग्र वृद्धि और गैर कृषि प्रयोजन के लिए यूरिया का प्रयोग कम करने के लिए 100 प्रतिशत नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन शुरू किया गया।

# उत्तरपूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक वैल्यू चेन विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)

- केन्द्रीय क्षेत्र की यह योजना वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक 3 वर्षों के लिए रुपये 400 करोड़ के परिव्यय के साथ 11 जनवरी, 2016 को शुरू की गई थी। यह योजना असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में राजकीय एजेंसी के माध्यम से लागू की गई है।

## मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014-18 के दौरान निर्मुक्त राशि



वर्ष 2014-18 के दौरान एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत बजट में भारी वृद्धि हुई है।

- 50,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 45,863 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत लाया गया है।
- 100 एफपीसी के लक्ष्य के तुलना में 93 एफपीसी का लक्ष्य प्राप्त किया गया।
- 2500 एफआईजी के लक्ष्य के तुलना में 2429 एफआईजी का गठन किया गया और 50,000 किसानों को एकत्रित किया गया है।



# राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)



- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना देश की 585 विनयमित थोक मंडियों को एक ई-प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए रुपये 200 करोड़ के प्रारंभिक आवंटन के साथ 1 जुलाई, 2015 को अनुमोदित की गई।
- अब तक 16 राज्यों व 02 केन्द्र प्रशासित प्रदेश की 585 मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किया गया है।
- ई-नाम पर व्यापार के लिए जांच करने में सुविधा हेतु 90 जिंसों के लिए मानक मापदंड विकसित किये गये हैं।
- 31 मार्च 2018 तक रुपये 170.87 करोड़ राज्यों को निर्गत किए जा चुके हैं।
- 09 मई 2018 तक इस पोर्टल पर 98,71,956 किसानों, 1,09,725 व्यापारियों और 61,220 कमीशन एजेंटों को पंजीकृत किया जा चुका है।
- संबंधित पोर्टल अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलगू और बंगाली में उपलब्ध है। इसका मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है।
- भीम और अन्य मोबाइल ऐप के माध्यम से भुगतान की सुविधा व फसलों के गुणवत्ता परिणाम मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
- 2018-19 एवं 2019-20 में अतिरिक्त 415 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।


## कृषि विपणन सुधार

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने पुराने मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 की जगह एक नये "मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन (प्रोत्साहन और सुविधा) अधिनियम 2017" का मसौदा तैयार किया है। इस अधिनियम को माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा 24 अप्रैल, 2017 को राज्यों को अपनाने के लिए जारी किया गया।
- आदर्श संबिदा खेती एवं सेवाएं अधिनियम, 2018 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए जाने हेतु जारी करने के लिए तैयार है।




14 अप्रैल, 2016 को बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के 125वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री ने 8 राज्यों के 21 मंडियों में ई-नाम की पायलेट परियोजना का शुभारंभ किया।

## राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के अंतर्गत प्रगति



- वर्ष 2018-19 में 200 अतिरिक्त मंडियों को भी ई-नाम से जोड़ा जायेगा

## राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के अंतर्गत व्यापार



ई-नाम के अन्तर्गत व्यापार में सतत वृद्धि हुई है

## ग्रामीण कृषि मण्डियों का विकास

- देश के लगभग 22,000 ग्रामीण कृषि मण्डियों के विकास के लिए नावार्ड ने रुपये 2000 करोड़ राशि प्रस्तावित की है।
- इस निधि को देश में 585 एपीएमसी के विकास के लिए भी उपयोग किया जाएगा।
- ग्रामीण कृषि मण्डियां भी ई-नाम प्लेटफार्म के साथ जोड़ी जाएगी।
- खेत के नजदीक ग्रामीण कृषि मण्डी की स्थापना किये जाने से हानियां भी कम होगी और किसान और खरीददार दोनों को लाभ होगा।




# प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)




- सभी खाद्यान्न, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें शामिल हैं।
- एक मौसम एक दर – खरीफ के लिए 2 प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और वार्षिक बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत अधिकतम है।
- फसल उपज के सभी जोखिमों – फसल बुआई के पूर्व, फसल के दौरान तथा फसल कटाई के बाद के सभी जोखिम शामिल है।
- ओलावृष्टि, भूस्खलन और जलभराव से हुए नुकसान के लिए प्रत्येक खेत स्तर पर क्षति का आकलन करना शामिल है।
- फसल कटाई से अधिकतम 14 दिन की अवधि में चक्रवात/चक्रवात वर्षा एवं बेमौसम बारिश के विशेष आपदा के कारण हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएगी।
- प्राकृतिक आपदा के कारण संरक्षित बुआई के लिए बीमित राशि 25 प्रतिशत तक का अग्रिम भुगतान किया जाएगा।

## फसल बीमा योजना के तहत शामिल किसान



### खरीफ मौसम


2010-14 खरीफ मौसम की तुलना में 2014-18 में ऋणी व गैर ऋणी किसानों के कुल व्याप्ति में 63.68 प्रतिशत की वृद्धि। उल्लेखनीय है कि गैर ऋणी किसानों के व्याप्ति में 173.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।




### रबी मौसम

2010-14 रबी मौसम की तुलना में 2014-18 में ऋणी व गैर ऋणी किसानों के कुल व्याप्ति में 38.76 प्रतिशत की वृद्धि। उल्लेखनीय है कि गैर ऋणी किसानों के व्याप्ति में 102.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2013-14 (सामान्य वर्ष) के सापेक्ष वर्ष 2016-17 (आपदा वर्ष) के दौरान बीमित किसानों के प्रति हैक्टेयर दावों की तुलना



पुरानी योजनाओं की तुलना में पीएमएफबीवाई के तहत प्रति हेक्टेयर बीमित राशि में वृद्धि



निम्नलिखित राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों में पीएमएफबीवाई की सहायता सुविधाओं से लाभान्वित किसान:

- संरक्षित बुवाई में क्षति पर दावों का भुगतान: तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश।
- मध्य मौसमी आपदाओं पर खाते पर दावों का भुगतान: छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।
- फसलोपरांत क्षति पर दावों का भुगतान: मणिपुर और राजस्थान।




## प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)-सूक्ष्म सिंचाई

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दो प्रमुख घटक हैं—

  1. ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अपनाना एवं प्रोत्साहित करना।
  2. छोटे जल स्रोतों का विकास।

- प्रत्येक बूंद अधिक फसल के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्तमान सरकार द्वारा अधिक धनराशि देकर अधिक क्षेत्रफल को सिंचित किया गया है।

### सूक्ष्म सिंचाई हेतु जारी की गई राशि




- ♦ भारत सरकार ने नाबार्ड के साथ लघु सिंचाई के विकास के लिए रुपये 5000 करोड़ की धनराशि के साथ कॉर्पस फण्ड स्थापित करने की घोषणा की है।
- ♦ सार्वजनिक और निजी निवेश के जरिए स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई जैसे आधुनिक सिंचाई तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को कम ब्याज पर धन उपलब्ध किया जायेगा।
- ♦ लघु सिंचाई के विकास के लिए समर्पित कॉर्पस फण्ड को परिचालित करने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

### वृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजना पूर्ण करने के लिए कार्यक्रम

- ♦ पीएमकेएसवाई स्कीम को कमान क्षेत्र विकास सहित दिसम्बर 2019 तक चरणबद्ध तरीके से 76.03 लाख हेक्टेयर की क्षमता के साथ 99 वृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजना को पूर्ण करने के उद्देश्य से मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्य के लिए रुपये 40,000 करोड़ की राशि से नाबार्ड के तहत विशेष सिंचाई फंड भी सृजित किया है।
- ♦ इसके फलस्वरूप 18 योजनाओं का कार्य मार्च 2018 तक पूर्ण भी कर लिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है की इसके अतिरिक्त अन्य 47 योजनाओं का कार्य 80% से अधिक पूर्ण हो चुका है।

## माइक्रो इरीगेशन के तहत क्षेत्र

(अब तक का सर्वाधिक क्षेत्रफल)



वर्ष 2010-14 की तुलना में वर्ष 2014-18 तक माइक्रो इरीगेशन में 24.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

- 2018 के बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 'हर खेत को पानी' के तहत भू-जल सिंचाई स्कीम को उन सिंचाई से वंचित 96 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा जहाँ 30 प्रतिशत से कम भू-जोत इस समय आश्वत सिंचाई सुविधा प्राप्त कर रही है। इस प्रयोजनार्थ रुपये 2600 करोड़ आवंटित किए गए हैं।




# बागवानी विकास

## बागवानी विकास मिशन

- किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के मुख्य कार्यक्रमों तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की आपूर्ति, संरक्षित खेती तथा उचित प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि, सतत बागवानी को बढ़ावा देने, मूल्य श्रृंखला का विकास, किसानों को मंडी से जोड़ने तथा किसान समूहों को खेत से मंडी तक किसानों के सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला के स्वामित्व को बढ़ावा देना उद्देश्य हैं।
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन फलों, सब्जियों, मूल एवं कंद फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको एवं बांस को कवर करते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वर्ष 2014-15 में शुरू केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है।

### एमआईडीएच के अंतर्गत प्रमुख घटकों में विशेष उपलब्धियां



वर्ष 2010-14 एवं 2014-18 के दौरान एमआईडीएच के प्रमुख घटकों में विशेष उपलब्धियां हासिल की गई हैं।


एमआईडीएच के अंतर्गत विकासशील कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार के कुल परिव्यय 60% तथा राज्य सरकारों का 40% अंशदान होता है। पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्य के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार का 90% तथा राज्य सरकार का 10% अंशदान होता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी), केंद्रीय बागवानी संस्थान (सीआईएच), नागालैंड तथा राष्ट्रीय स्तर एजेंसियों को भारत सरकार का 100% अंशदान है।

## राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

बोर्ड निम्नलिखित योजनाएँ क्रियान्वित कर रहा है :

- उत्पादन और फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास।
- बागवानी उत्पाद के लिए शीत संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी योजना।
- बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण।
- बागवानी में फार्म अभियंत्रीकरण का संवर्धन।
- बागवानी में गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

### शीत भण्डारण योजना में प्रगति




राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने पूरे देश में 3120 शीत भंडारण परियोजनाओं को सहायता दी जिसकी कुल भंडारण क्षमता 137.22 लाख मी. टन है।

### ऑपरेशन ग्रीन्स

पूरे भारत वर्ष में TOP- टमाटर (Tomato), प्याज (Onion), आलू (Potato) का उपयोग साल भर किया जाता है। विगत 70 वर्षों में किसान और उपभोक्ता दोनों को ही नुकसान उठाने पड़े हैं। भारत सरकार के इस बजट में पहली बार "Operation Greens" के नाम से नई पहल करने की घोषणा की गई है जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य तथा उपभोक्ताओं को ये उत्पाद वाजिब दामों में उपलब्ध हो सकेंगे। इस कार्य के लिए रुपये 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।




## व्यावसायिक बागवानी योजना



व्यवसायिक बागवानी योजनाओं में पिछले 4 सालों में आवंटित राशि में 122.02 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

## बागवानी फसलों में रिकॉर्ड पैदावार



भारत सरकार के बागवानी विकास के लिए किए गए प्रयासों के वजह से पिछले चार सालों में बागवानी फसलों के उत्पादनों में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हुई है।

## जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज

- जम्मू-कश्मीर में क्षतिग्रस्त बागवानी क्षेत्रों के पुनरुत्थापन और बागवानी विकास के लिए 07.11.2015 को रुपये 500 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की गई।
- जम्मू-कश्मीर सरकार ने 2016-17 से 2018-19 के लिए रुपये 500 करोड़ की 3 वर्ष की कार्य योजना प्रस्तुत की, जिसे केबिनेट की मंजूरी प्रदान की गई।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने एमआईडीएच लागत मानदंडों के लिए एक मुश्त छूट का अनुमोदन किया:
  - रुपये 460 प्रति पौध की अधिकतम लागत पर रोपण सामग्री का आयात।
  - रुपये 9.8 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर वायर टेरिल सिस्टम का आयात।
  - रोपण सामग्री के प्रावधान हेतु 90 प्रतिशत की दर पर राज्य सहायता को बढ़ाया गया।
- सीसीईए निर्णय के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति 08.12.2016 को जारी की गयी है।
- वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के अंशदान के रूप में राज्य सरकार को रु. 75.00 करोड़ की राशि जारी की गयी।

## केसर पार्क

- रुपये 37.81 करोड़ रुपये की कुल लागत से पम्पोर पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) में केसर पार्क स्थापित करने का कार्य एनएचबी को सौंपा है। पार्क में गुणवत्ता नियंत्रण लैब, निर्यात प्रोत्साहन कार्यकलाप और ई-नीलामी केंद्र की सुविधा की गई।
- केसर पार्क का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। प्रदान की गई प्लांट और मशीनरी स्थापित करने हेतु तैयार है।
- केसर पार्क पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है और राज्य सरकार को समर्पित कर दिया गया है।


केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी ने 23 अगस्त 2014 को केसर पार्क का पुलवामा, जम्मू एवं कश्मीर में शिलान्यास किया था।



# नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी)


- वर्ष 2010-14 के दौरान सीडीबी ने 12 न्यूक्लियस नारियल बीज बाग, 48 छोटे नारियल नर्सरी एवं 295 जैविक खाद इकाइयां स्थापित कीं जबकि 2014-18 में सीडीबी ने 16 न्यूक्लियस नारियल बीज उद्यान, 116 छोटे नारियल नर्सरी एवं 523 जैविक खाद इकाइयां स्थापित की।
- वर्ष 2014-15 में योजना शुरू होने के बाद से 2637 नीरा तकनीशियन को प्रशिक्षित किया गया।
- वर्ष 2010-14 के दौरान 9561 हेक्टेयर की तुलना में वर्ष 2014-18 के दौरान 13,117 हेक्टेयर क्षेत्र को नये बागान के अंतर्गत लाया गया।
- वर्ष 2017-18 के दौरान नारियल का रु. 1602.38 करोड़ का निर्यात किया गया जबकि आयात केवल रु. 259.70 करोड़ था।
- नई विदेश व्यापार नीति 2015-20 में नारियल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इनके निर्यात (एफओबी) मूल्य का 2-7% तक प्रोत्साहन के रूप में दिया गया है।
- परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 की शुरुआत से ही भारत नारियल तेल का निर्यात मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका को करने लगा है, जबकि हम पिछले वर्ष तक इन्हीं देशों से नारियल तेल का आयात कर रहे थे।
- पहली बार भारत शुष्क नारियल का बड़ी मात्राओं में निर्यात अमेरिका और युरोपीय देशों को कर रहा है।

## नारियल विकास के विभिन्न संघटकों में उपलब्धि



नारियल विकास के विभिन्न संघटकों में नारियल विकास बोर्ड द्वारा पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गयी है।

## नारियल उत्पादक समिति, फैंडरेशन तथा नारियल उत्पादक कम्पनी



पिछले वर्षों में नारियल उत्पादक समिति, फैंडरेशन तथा नारियल उत्पादक कम्पनीयों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

- बोर्ड की मुख्य योजनाएं जैसे “नारियल बागों के पुनर्रोपण एवं पुनर्जीवन” कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में नारियल क्षेत्र के किसान उत्पादक संगठनों को शामिल किया जा रहा है। कई किसान उत्पादक संगठनों द्वारा उत्पादों का संग्रहण करके प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन शुरू किए जा चुके हैं।
- उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए बिहार के पटना में नारियल संबंधी एक नया किसान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया जो नारियल उत्पादों के लिए विपणन हब के रूप में कार्य करेगा।
- नारियल क्षेत्र में किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारियों के क्षमता संवर्धन हेतु नारियल उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के लिए कार्यवाई प्रारंभ की गई है।

# राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी)

## मधुमक्खी पालन

- वर्ष 2011-12 से 31 मार्च, 2018 तक, 12.67 लाख कॉलोनियों सहित 7726 मधुमक्खी पालकों/मधुमक्खी पालन एवं मधु सोसाइटियों/फर्मों/कंपनियों आदि को पंजीकृत किया गया।
- आनन्द गुजरात में विश्व स्तरीय हनी टेस्टिंग लैब की स्थापना की जा रही है।

- मधुमक्खी पालन सिर्फ कमाई ही नहीं, पूरी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि "यदि धरती से मधुमक्खियां गायब हो जाएं तो मानव जाति केवल 4 साल तक ही ज़िंदा रह पाएगी"


- उनकी इस सोच के पीछे खेती और बागवानी में मधुमक्खियों की उपयोगिता छुपी हुई थी। जानकारों के मुताबिक फसलों की 100 प्रजातियों में से 80-85 प्रतिशत ऐसी हैं जो मधुमक्खियों/परागणकर्ताओं के बिना उपज नहीं दे सकतीं। मधुमक्खी ना सिर्फ Pollination में मदद करती है बल्कि शहद के रूप में अमृत भी देती हैं।

- तो ये वो रास्ता है जो ना सिर्फ किसान की उपज बढ़ाने में मदद करता है बल्कि शहद के रूप में अतिरिक्त कमाई का साधन भी बनता है। यही हमें Sweet Revolution की तरफ ले जाता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक छोटे स्तर पर ही, 50

बॉक्स में मधुमक्खी पालन से किसानों को 2 से ढाई लाख तक की कमाई हो सकती है।


माननीय प्रधानमंत्री जी का कृषि उन्नति मेला पूसा, नई दिल्ली (17 मार्च 2018) में सम्बोधन

## मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए जारी/आवंटित निधियां



वर्ष 2010-14 की तुलना में पिछले चार वर्षों (2014-18) में मधुमक्खी पालन के लिए आवंटित बजट में लगभग 242.58% की वृद्धि हुई है।

## कुल शहद उत्पादन



राष्ट्रीय बी बोर्ड द्वारा मधुमक्खी पालकों/किसानों को सहायता देने के कारण शहद उत्पादन में वर्ष 2010-14 की तुलना में पिछले चार वर्षों (2014-18) में 28.56% की वृद्धि।




# राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

## दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये गए कदम

- धान की परती भूमि वाले क्षेत्रों को खेती के अंतर्गत लाने के लिए रबी 2016 से आरकेवीवाई के अंतर्गत “दलहन के लिए पूर्वी भारत में चावल की परती भूमि वाले क्षेत्रों को लक्षित करना” नामक विशेष स्कीम की शुरुआत की गई है।
- धान खेतों के मेड़ों पर अरहर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- 2017-18 के दौरान 549 केवीके के माध्यम से 31366 क्लस्टर फ्रंट लाईन प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
- एसएयू/केवीके/आईसीएआर संस्थानों के 150 सीड हब स्वीकृत किए गए हैं।
- खरीफ 2017 से गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए एनएफएसएम के दलहन घटक का 15 प्रतिशत आवंटन निर्धारित किया गया।
- उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप दाल उत्पादन जो वर्ष 2015-16 में 16.35 मिलियन टन हो गया। वहीं वर्ष 2017-18 में 46 प्रतिशत वृद्धि के साथ 23.95 मिलियन टन हुआ।

## दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी (मिलियन टन)




दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की वजह से वर्ष 2016-17 व 2017-18 में क्रमशः 23.13 व 23.95 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन

## राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पॉम मिशन

- एनएमओओपी का लक्ष्य 2019-20 के अंत तक तिलहन के उत्पादन को 29.79 मिलियन टन से बढ़ाकर 36.10 मिलियन टन तक व इसकी उत्पादकता 1122 कि./ है. (12वीं पंचवर्षीय योजना) से बढ़ाकर 1290 कि./ है. (2019-20) करना है।
- खरीफ 2016 से पानी ले जाने वाली पाइपों पर सब्सिडी 25/- प्रति मीटर से 50/- रुपये प्रति मीटर एचडीपीई पाइपों के लिए, एचडीपीई लैमिनेटेड प्लैट बिछाए जाने वाले पाइपों / ट्यूबों के लिए 20/- एवं पीबीसी पाइपों के लिए 35/- रुपये प्रति मीटर की दर से बढ़ोतरी की गई है।
- प्रमाणित बीज वितरण के लिए बीज सब्सिडी में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है।

## पूर्वी राज्यों में धान के परती क्षेत्रों में तिलहनों और दालों को बढ़ावा



पूर्वी राज्यों में धान के परती क्षेत्रों में तिलहनों और दालों के क्षेत्र में 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

- देश में 14 राज्यों में आईसीएआर संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों में तिलहन के 35 बीज हब्स बनाने का प्रस्ताव है। 2018–19 एवं 2019–20 के दौरान रुपये 50.92 करोड़ की कुल कुल लागत के साथ 60,825 क्विंटल बीज पैदा करना प्रस्तावित है।


## देश में ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा

- एनएमओओपी का उद्देश्य ताजे फल के गुच्छों (एफएफबी) की उत्पादकता में सुधार पर ध्यान देने के लिए ऑयल पाम के तहत 1.25 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- सीपीओ का अंतरराष्ट्रीय मूल्य 800 डॉलर से नीचे गिरने पर आयल पाम उत्पादकों को बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के माध्यम से ताजे फल के गुच्छे (एफएफबी) की कीमतों का आश्वासन दिया गया।

## 12 अप्रैल, 2017 का कैबिनेट निर्णय

- निर्णय 1:** आयल पाम की खेती की सहायता के तहत बड़े पैमाने पर आयल पाम के तहत 25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण करने के लिए मंजूरी दे दी गई है।
- निर्णय 2:** ऑयल पाम के घटकों, जैसे रोपण सामग्री, रखरखाव लागत, अन्तः फसल और बोर-वेल के लिए उन्नत सहायता

## ऑयल पाम विकास के लिए विभिन्न घटकों में सहायता में बढ़ोतरी



- अब हम दलहन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हैं।
- वर्ष 2018–19 को मिलेट वर्ष (न्यूट्रीसीरियल्स) घोषित किया गया है।



# बीज


## बीज प्रभाग की पहलें एवं उपलब्धियां

- विभाग ने बीटी कपास संकर बीजों का अधिकतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) नियमन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत कपास निधि नियंत्रण आदेश 2015 पहली बार जारी किया। बीटी कपास का अधिकतम विक्रय मूल्य निम्नवत है:-

बीटी 1 कपास	बीटी 2 कपास
2011-2015 के बीच रु. 825 प्रति 450 ग्राम के पैकेट किंमत थी इसे घटाकर 2015-16 से रुपये 635 (जीरो ट्रेड वैल्यू) प्रति 450 ग्राम कर दी गई है।	2011-15 में विभिन्न राज्यों में रुपये 1000-1500 प्रति 450 ग्राम पैकेट की किंमत थी अब इसे घटाकर 2018-19 में रुपये 740 प्रति 450 ग्राम कर दी गयी है।

- खरीफ 2018 में बीटी-1 कपास बीजों का अधिकतम मूल्य खरीफ 2016 एवं खरीफ 2017 के समतुल्य रखा गया है।
- पिछले 4 वर्षों में 1,73,236 बीज ग्राम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें 101.19 लाख किसानों को शामिल करते हुए 480.15 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन किया गया।

## बीज प्रभाग की पहलें एवं उपलब्धियां



- यूनियन कैबिनेट के फैसले के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान— दक्षिण एशिया केन्द्र (आईएसएआरसी) ने धान का उत्कृष्ट केन्द्र, राष्ट्रीय बीज, शोध व प्रशिक्षण केन्द्र (एनएसआरटीसी), वाराणसी, यूपी. के अन्तर्गत स्थापित किया गया है।
- बीज, पौध रोपण सामग्री, टिश्यू कल्चर में आयात-निर्यात को पारदर्शी एवं सुगम बनाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल (<http://seedexim.gov.in>) अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया है।




# राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी)




- 2014-18 की अवधि के दौरान कृषि फसलों की 661 और बागवानी फसलों की 136 किरमें जारी और अधिसूचित की गई।
- 2014-18 की अवधि के दौरान एक्जिम समिति द्वारा निर्यात के लिए 528 और बीज तथा रोपण सामग्री के आयात के लिए 579 मामलों की सिफारिश की गई।


## राष्ट्रीय बीज निगम के कारोबार में वृद्धि




## बीज भंडारण क्षमता में तुलनात्मक बढ़ोत्तरी




## एनएससी द्वारा जुताई क्षेत्र के अन्तर्गत बढ़ोत्तरी




## राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा मछली बीज उत्पादन



## राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा दिया गया लाभांश



## धान की एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट किस्मों के बीज की पैदावार में वृद्धि



- ♦ राष्ट्रीय बीज निगम के लाभांश में विगत चार वर्षों में आई 163% की वृद्धि।
- ♦ वर्ष 2016-17 में निगम ने अब तक का सर्वाधिक लाभांश रुपये 12.03 करोड़ भारत सरकार को दिया है।




# किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPVFRA) पूसा, नई दिल्ली

## पौध किस्मों के संरक्षण एवं किसानों को लाभ प्रदान करने की नई पहलें

- PPVFRA की स्थापना वर्ष 2007 में हुई। प्राधिकरण में अभी तक 15,940 आवेदन-पत्र प्राप्त हैं और विशेष रूप से गत 4 वर्षों में 11,499 आवेदन-पत्र प्राप्त किये गये हैं, जो कुल प्राप्त आवेदन-पत्रों के 72% हैं।
- प्राधिकरण ने अब तक 3385 पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये। विगत 4 वर्षों में 2785 पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये गये, जो कुल पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के 82% हैं।
- प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 2009 से कुल 35 वार्षिक पुरस्कार, कृषक एवं कृषक समुदायों को (कुल रु. 85 लाख की धनराशि) प्रदान करने का प्रावधान है। अभी तक 124 पुरस्कार प्रदान किये गये हैं, जिसमें से 73 पुरस्कार विगत 4 वर्षों में प्रदान किये गये हैं।
- विगत 10 वर्षों में 156 फसल प्रजातियां भारत सरकार द्वारा पंजीकरण हेतु अधिसूचित की गई हैं। इसमें 75 फसल प्रजातियां विगत 4 वर्षों में अधिसूचित की गई हैं, जो कुल अधिसूचित फसल प्रजातियों का लगभग 52% हैं।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 से कृषक किस्मों का वार्षिक शुल्क रुपये 2000/- (दो हजार रुपये) प्रतिवर्ष से घटाकर रुपये 10/- (दस रुपये) प्रतिवर्ष कर दिया गया है, और किसानों की नवीकरण फीस को रु. 45,000/- से "शून्य" किया गया है।
- पादप जीनोम संरक्षक कृषक इनाम की राशि रु. 1 लाख से बढ़ाकर रु. 1.5 लाख किया गया और पादप जीनोम संरक्षक कृषक मान्यता की राशि "शून्य" से बढ़ाकर रु. 1 लाख किया गया है।

**2007 से 2018 तक 150 फसलें (प्रजातियां) अधिसूचित की गईं।**




19 अप्रैल, 2017, को माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी द्वारा मोतिहारी पूर्वी चंपारण (बिहार) में 5 प्लांट जीनोम सेवियर कम्पुनिटी अवार्ड (10 लाख रुपये प्रत्येक), 10 प्लांट जीनोम सेवियर फार्मस अवार्ड (1.5 लाख रुपये प्रत्येक) और 20 प्लांट जीनोम सेवियर किसान रिवार्ड (1 लाख रुपये प्रत्येक) प्रदान किये गये।




- प्राधिकरण ने पालमपुर, पुणे एवं शिवमोगा में तीन शाखा कार्यालय खोले हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर किसानों को उनकी किस्मों के पंजीकरण करने हेतु सुविधा प्रदान करेंगे तथा उन्हें इस कानून के बारे में जागरूक करेंगे।
- प्राधिकरण के फैसलों के विरुद्ध अभी तक उच्च न्यायालय में अपील होती थी, जो अब न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) में अपील कि जा सकती है।

### आवेदन प्राप्त करने तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने में उपलब्धियाँ



### कृषक किस्मों के आवेदन प्राप्त करने तथा प्रमाण-पत्र जारी करने में उपलब्धियाँ




23 फरवरी, 2018 को पीपीवी और एफआरए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह

# कृषि यंत्रीकरण


- सीमांत एवं छोटे किसानों के यंत्रीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और देश में कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वर्ष 2014-15 में कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन का प्रारंभ किया गया।

## किसानों को वितरित मशीनों की संख्या



विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2010-14 के दौरान वितरित मशीनों की संख्या की तुलना में वर्ष 2014-18 के दौरान किसानों को वितरित की गई मशीनों की संख्या में 153.64% की बढ़ोतरी हुई है।

## आवंटित निधि



वर्ष 2010-14 के दौरान कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के लिए आवंटित निधि की तुलना में वर्ष 2014-18 में कुल 926.34% अधिक राशि आवंटित की गई।

## फसल अवशेष प्रबंधन पर नई यंत्रीकरण योजना

हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश व दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में फसलों के अवशेष प्रबंधन के लिए यंत्रीकरण के लिए नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना रु. 1151.80 करोड़ बजट के साथ 2018-19 से 2020 तक शुरू की गई। इस योजना में केन्द्र द्वारा 100 प्रतिशत राशि प्रदान की गई है।



## पौध संरक्षण

पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध उप मिशन हरित क्रांति (कृषिन्नोति योजना) के तहत एक स्कीम है। इस उपमिशन का प्राथमिक लक्ष्य कीट रोगों, खरपतवारों, निमेटोड आदि से कृषि फसलों की गुणवत्ता व उपज को होने वाली हानि को न्यूनतम करना और कृषि जैव सुरक्षा को विदेशी प्रजातियों के आक्रमण से बचाना है। इस उप-मिशन का लक्ष्य विश्व मंडियों में भारतीय कृषि जिनसों के निर्यात की सुविधा प्रदान करना एवं विश्व में पौध संरक्षण कार्यनीतियों व तकनीकों के संबंध में अच्छी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है।


### गत चार वर्षों में किये गये सुधार कार्य:-

- लखनऊ, बागडोगरा, गोवा और पोर्ट ब्लेयर में चार नये पौध संगरोध स्टेशन शुरू किये गये हैं।
- कीटनाशी का निर्यात चेन्नई, मुम्बई सी-पोर्ट द्वारा व दिल्ली गुरुग्राम वायुयान द्वारा प्रतिबंधित किया गया।
- पिछले तीन सालों की तुलना में आम के निर्यात में 15,000 टन की बढ़ोत्तरी हुई है। इक्वाडोर, चिली और जापान द्वारा आम के लिए बाजार पहुंच प्रदान की गई है।
- आम निर्यात करने के लिए, कोरिया से मार्केट एक्सेस प्राप्त किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 453.999 टन आमों का निर्यात किया गया है।
- परीक्षण के आधार पर कनाडा में अंगूर के 10 कंटेनरों का सफल शिपमेंट किया गया है। इससे निर्यातक अगले सीजन में भारत से अंगूर निर्यात करने में सक्षम होगा।
- यूरोपीय संघ ने भारतीय आमों के लिए मार्केट एक्सेस को पुनर्जीवित किया गया है, इसके अलावा यूरोपीय संघ ने ताजे सब्जियों के निर्यात की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
- चीन को बासमती चावल निर्यात करने के लिए प्रवेश प्राप्त किया गया है और 14 राइस मिल्स का पंजीकरण पूरा हो चुका है।

### पौध संरक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का उपयोग


- “एकल खिड़की प्रणाली” के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 51 पीक्यू. आई. एस. स्टेशनों पर पीक्यूआईएस के साथ सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम का समेकन आयात निकासी के लिए ऑनलाइन मैसेज आदान प्रदान के जरिये लागू किया गया है।
- पादप स्वस्थता प्रमाण पत्रों को ऑन लाइन जारी करना करने के लिए 15 जुलाई 2017 से शुरू किया गया।
- कीटनाशी का पंजीकरण पूर्ण रूप से ऑनलाइन कर दिया गया है।

## पौध संरक्षण कीटनाशी निर्यात पंजीकरण



वर्ष 2010-14 की तुलना में वर्ष 2014-18 में कीटनाशी निर्यात पंजीकरण में 124% की बढ़ोत्तरी।

## पौध संरक्षण कीटनाशी पंजीकरण



तकनीकों के उपयोग और उत्तम निरीक्षण से कीटनाशक पंजीकरण में 312% की बढ़ोत्तरी।



माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि और किसान कल्याण श्री राधा मोहन सिंह आईपीएम सेंटर का मुआयना करते हुए।

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री माननीय परशोत्तम रूपाला आईपीएम प्रदर्शनी स्टॉल का निरीक्षण करते हुए।



# लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी)

## उद्यम पूंजी योजना (वी सी ए)

ग्रामीण आय और रोजगार में वृद्धि के लिए, कृषि व्यवसाय परियोजना स्थापित करने और निजी निवेश को उत्प्रेरित करने के लिये उद्यम पूंजी सहायता योजना को कृषि व्यवसाय विकास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। 2014–18 के दौरान उद्यम पूंजी योजना के लिए रुपये 344.51 करोड़ किए गए।


## इक्विटी अनुदान योजना (ई जी एस)

इक्विटी आधार का समर्थन करने के लिए, वर्ष 2014–18 के दौरान अधिकतम 10 लाख रुपये तक की इक्विटी अनुदान फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी (एफपीसी) को दिया जाता है, इक्विटी अनुदान 254 किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को दिया गया है।

## क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (सीजीएफएस)

क्रेडिट गारंटी फंड में बैंक द्वारा बढ़ाए गए ऋण के लिए फार्म से प्रोड्यूसर कंपनी एफपीसी को बिना गारंटी के 85 प्रतिशत को कवर करके; अधिकतम रुपए 1000 करोड़ तक प्रदान किया गया है। वर्ष 2014–18 के दौरान, कुल 30 एफपीसी ने इस योजना के तहत लाभ लिया है।

### उद्यम पूंजी योजना (वी सी ए) के अर्न्तगत स्थापित किए गये परियोजनाएं




पिछले 4 वर्षों (2010–14) के दौरान 459 के मुकाबले 2014–18 के दौरान 1233 वीसीए परियोजनाएं स्थापित की गईं जो 168.63 प्रतिशत अधिक वृद्धि है।

2018–19 के बजट में सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि 'Farmer Producer Organizations' को कोऑपरेटिव सोसायटियों की तर्ज पर इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी।

(माननीय प्रधानमंत्री जी का कृषि उन्नति मेला पूसा, नई दिल्ली (17 मार्च 2018) में सम्बोधन अंश II)

## नाबार्ड एवं एसएफएसी द्वारा किसान उत्पादन संगठनों का पंजीकरण



नाबार्ड (2154) व एसएफएसी (517) द्वारा वर्ष 2014-18 के दौरान 2670 किसान संगठनों का पंजीकरण करवाया गया। जो की वर्ष 2010-14 (223) की अपेक्षा 1097 प्रतिशत अधिक है।

## किसान निर्माता संगठन (एफपीओ)

किसान निर्माता संगठन (एफपीओ) की अवधारणा में उत्पादकों विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों का सामूहीकरण शामिल है जो कृषि की नई चुनौतियों जैसे – निवेश, प्रौद्योगिकी, इनपूट और मण्डियों तक बेहतर पहुंच को सामूहिक रूप से सामाधान करने के लिए एक प्रभावी साधन है।


किसानों के एकत्रित उत्पादों और विपणन व्यवस्था का सही उपयोग करने के लिए एफपीओ में निवेश हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए उपेक्षित नीति निर्धारण किया जाना है।




# कृषि ऋण प्रवाह

## कृषि ऋण

(क) आधारभूत कृषि ऋण प्रवाह (अल्पकालिक फसल ऋण एवं सावधि ऋण)




(ख) कृषि ऋण: अल्पकालिक फसल ऋण



## ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप


ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप का गठन



# नेफेड की उपलब्धियां


- कपास, दालों और तिलहनों के 16 चिन्हित कृषि वस्तुओं की खरीद के लिये नेफेड एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान नेफेड ने 31.88 लाख मेट्रिक टन दालों व तिलहन की उच्चतम खरीदारी की और विगत दो दशकों में उच्चतम रुपये 250.69 करोड़ का सर्वोच्च सकल लाभ दर्ज किया गया।
- 2011-14 के दौरान की तुलना में नेफेड द्वारा वर्ष 2014-18 में दालों, तिलहनों एवं अन्य वस्तुओं की खरीद में काफी सुधार हुआ।
- पहले नेफेड को न्यूनतम स्तर पर मात्र रुपये 261 करोड़ सरकारी गारंटी के पक्ष में उपलब्ध था। इसे अभी रुपये 19000 करोड़ की गारंटी दे दी गई है, जिसे बढ़ाकर अब रुपये 42000 करोड़ किया जा रहा है। इसी कारण नेफेड पिछले सालों की तुलना में देश के इतिहास में सबसे अधिक दालें तथा तिलहन खरीदी कर सका और लाखों किसानों को फायदा हुआ।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नेफेड ने अपने लेनदार बैंकों के साथ एकमुश्त देनदारी समाधान पर 27.03.2018 को एक करार नामे पर हस्ताक्षर किया। तत्पश्चात, नेफेड ऋण समस्या से मुक्त होकर किसानों की अग्रसर सेवा हेतु तत्पर रहेगा।

## नेफेड के द्वारा खरीद से लाभान्वित कृषक



वर्ष 2010-14 के बीच 270352 किसान नेफेड द्वारा खरीद से लाभान्वित हुए। वर्ष 2014-18 के दौरान 2010245 किसान लाभान्वित हुए जो 423.06% अधिक है।

## नेफेड के व्यवसाय में वृद्धि




वर्ष 2010-14 में रुपये 3663.37 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-18 के दौरान नेफेड के व्यवसाय में रुपये 6496 करोड़ की वृद्धि हुई जो 41.67% अधिक है।



केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह ने 25 अप्रैल 2018 को नेफेड में आयोजित धन्यवाद समारोह को सम्बोधित किया।




केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह एवं कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला ने 16 दिसंबर, 2016 को नई दिल्ली में नेफेड चाय के नए फ्लेवर्स लॉन्च किए।



# कृषि वानिकी उपमिशन

- सिंचित तथा आधारित क्षेत्रों में कृषि वानिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सामुदायिक जरूरतों का पूरा करने, कृषि भूमि की जलवायु सहायता बढ़ाने, व्यावसायिक कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने तथा वन एवम वृक्षारोपण के 33% के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देने के साथ ही अन्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं हेतु राष्ट्रीय कृषि वानिकी पॉलिसी 2014 को बनाया गया।
- “हर मेढ़ पर पेड़” लगाने के उद्देश्य से कृषि वानिकी उप- मिशन वर्ष 2016-17 में प्रारंभ किया गया।
- कृषि वानिकी उपमिशन के अंतर्गत सहायता हेतु चयनित कृषि वानिकी प्रजातियों हेतु पारगमन के नियमों में छूट आवश्यक है। इस योजना के तहत किसानों को उनके खेतों में पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अभी तक 21 राज्यों में पारगमन की छूट जारी की जा चुकी है।
- किसानों को आवधिक रिटर्न प्रदान करने के लिए बहुउद्देशीय वृक्ष प्रजातियों जैसे— फल, चारा औषधीय और अरोमैटिक्स, छोटी अवधि की लकड़ी और लम्बी अवधि की लकड़ी की प्रजातियों आदि को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- उपमिशन के अर्न्तगत अभी तक 21000 हैक्टेयर क्षेत्र में एक करोड़ पेड़ लगाये गये हैं तथा गुणवत्ता रोपण सामग्री हेतु 146 नर्सरी स्थापित की गयी है।

## कृषि वानिकी विकास के लिए जारी धन राशि (रु. लाख)




# राष्ट्रीय बांस मिशन

देश में बांस विकास में उद्योगों एवं किसानों के बीच समन्वय तथा आवश्यक वेल्यू चैन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट द्वारा पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) के कार्यान्वयन हेतु 25 अप्रैल 2018 को 2018-19 और 2019-20 अवधि के लिए रु. 1290 करोड़ राशि स्वीकृत की।

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन का क्रियान्वयन करने हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।
- पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन में किसानों द्वारा बांस रोपण, प्राथमिक प्रसंस्करण एवं उपचार; सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम; उत्पाद विकास, कौशल विकास और मूल्य संवर्धन के साथ बांस की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित कार्यकलापों पर कार्य किया जाएगा।
- मिशन के तहत संबंधित राज्यों में बांस के विकास पर विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु और केरल में उन स्थानों पर जोर दिया जाएगा जहां बांस को सामाजिक, वाणिज्यिक और आर्थिक क्षेत्रों में विशेष दर्जा हासिल है।
- बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 'भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश 2017' की घोषणा की गई जिसमें बांस को वृक्ष न मानकर घास माना जाएगा। सरकार के इस निर्णय से कृषकों को बांस की खेती के लिए प्रेरित करेगा तथा इसे काटने और परिवहन में भी परमिट नहीं लेना पड़ेगा।

## राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए आवंटित धन राशि



बांस के विकास के लिए 2014-15 से 2019-20 छः वर्ष की अवधि में रुपये 1466.41 करोड़ प्रस्तावित है। यह राशि 2006-07 से 2013-14 (8 वर्ष) की अवधि की तुलना में 104.15 प्रतिशत अधिक है।



## मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018

- भारत सरकार द्वारा पहली बार देश के किसानों तथा कृषि आधारित उद्योगों को जोड़ा गया है।
- इस एक्ट के माध्यम से जहां एक तरफ कृषि जींसों का अच्छा दाम किसानों को मिल सकेगा, वहीं फसल कटाई उपरांत नुकसानों को कम किया जा सकेगा। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे।
- किसानों की भूमि/परिसर में कोई स्थायी संरचना विकसित नहीं की जा सकती है।
- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) / किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों को संगठित किया जा सके।
- यदि किसानों द्वारा अधिकृत किया गया तो एफपीओ / एफपीसी एक अनुबंध पार्टी हो सकती है।
- संविदा खेती प्रायोजक को भूमि के अधिकार, शीर्षक, स्वामित्व का कब्जे का हस्तांतरण एवं विमुख करने का अधिकार नहीं होगा।
- संविदा के अनुसार एक या अधिक कृषि उपज, पशुधन या अनुबंध कृषि उपज के उत्पाद की पूरी मात्रा पूर्व-सहमत दर पर खरीद सुनिश्चित करना है।
- गाँव / पंचायत स्तर पर संविदा खेती और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए संविदा खेती सुविधा समूह (सीएफएफजी) का प्रावधान किया गया है।
- विवाद निपटारण का प्रावधान जहां तक संभव है सबसे निचले स्तर पर किया गया है ताकि वहां तक पहुंच आसान हो एवं विवादों का निपटारण जल्दी-से-जल्दी किया जा सके।



## मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लिजिंग एक्ट, 2016


- कृषि सुधारों के संदर्भ में यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम भू-धारकों एवं लीज़ प्राप्तकर्ता की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया है।
- इस एक्ट के माध्यम से भू-धारक वैधानिक रूप से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए आपसी सहमति से भूमि लीज पर दे सकते हैं। यहां भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी परिस्थिति में लीज प्राप्तकर्ता का कृषि भूमि पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- लीज प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण से यह ध्यान दिया गया है कि उसे संस्थागत ऋण, इंश्योरेंस तथा आपदा राहत राशि उपलब्ध हों, जिससे उनके द्वारा अधिक-से-अधिक कृषि पर निवेश हो सके।
- भू-धारक एवं लीज प्राप्तकर्ता के बीच विवाद को सुलझाने के लिए सिविल कोर्ट के अन्दर Special Land Tribunal तथा मध्यस्थता का प्रावधान किया गया है।




# सूखा प्रबंधन-आपदा राहत उपायों में परिवर्तन

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को सूखे, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण, पाला/शीत लहर से उत्पन्न स्थितियों में राहत उपायों का समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है।
- सभी श्रेणी की सहायता मापदंड 1.5 गुना बढ़ाए गए हैं।
- मानकों में परिवर्तन कर किसानों को 50% फसल हानि के स्थान पर केवल 33% फसल हानि पर ही आपदा राहत के तहत सहायता।
- सभी मामलों में सहायता की ग्राह्यता को 1 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2 हेक्टेयर कर दिया गया।
- प्राकृतिक आपदाओं में मृतकों के परिजनों को पहले जहां मात्र 1.50 लाख रुपये देने का प्रावधान था उसे अब बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है।
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता देने के लिए पहली बार यूटी-डीआरएफ फंड रुपये 50 करोड़ रखा गया है।
- इस विभाग द्वारा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, वैज्ञानिक, तकनीकी और अनुसंधान संगठनों को शामिल करते हुए एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से वर्ष 2009 में प्रकाशित सूखा प्रबंधन मैनुअल वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था।

## एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अन्तर्गत कृषि सहायता (Input subsidy) मापदण्ड




## राज्य आपदा अनुक्रिया कोष के अंतर्गत राज्यों को प्राकृतिक आपदा निधियों का आवंटन



वर्ष 2010-2015 की तुलना में वर्ष 2015-20 में राज्यों को प्राकृतिक आपदा निधियों का आवंटन में 82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

## प्राकृति आपदा (सूखा, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप एवं शीत लहर/पाला) अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों को अनुमोदित केन्द्रीय सहायता




2010-2014 में स्वीकृत रुपये 12516 करोड़ की तुलना में 2014-18 में रुपये 31333.32 करोड़ की मंजूरी दी गई, जो कि 140.50 प्रतिशत अधिक है।

# कृषि व्यापार

किसानों की सहायता करने तथा आयतित कृषिगत वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के लिए व्यापार नीतिगत उपाय

- गेहूँ पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। विदेशी व्यापार नीति 2015–20 के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 2017 से 30 जून, 2018 तक विभिन्न कृषि मर्दों के निर्यात पर भारत से मर्वेन्डाईज निर्यात स्कीम (एमईआईएस) के अन्तर्गत पुरस्कार दरों को बढ़ा दिया गया है ताकि अधिक पारगमन लागत को कम किया जा सके व देश में निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। एमईआईएस के तहत चने के निर्यात के लिए 7 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन दिए जाने को मंजूरी दी गई।
- तूर पर आयात शुल्क को शून्य से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक किया गया। तूर (अरहर) के आयात पर प्रतिवर्ष 2 लाख टन, उडद एवं मूंग पर प्रतिवर्ष 3 लाख टन का मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया गया। पिली मटर पर आयात शुल्क को शून्य से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक किया गया। काबुली पर आयात शुल्क को 40 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक किया गया। मसूर पर आयात शुल्क को शून्य से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक किया गया।
- सभी दलहनों (काबुली चना को छोड़कर) के निर्यात पर पहले प्रतिबंध था। अब जैविक दलहनों सहित दलहनों की सभी किस्मों के निर्यात के लिए किसी भी मात्रात्मक प्रतिबंध के बिना अनुमति दे दी गई है।
- खाद्य तेलों (सरसों के तेल को छोड़कर) की सभी किस्मों के निर्यात की अनुमति किसी भी मात्रात्मक प्रतिबंध के बिना दी गई है। हालांकि, 5 किलोग्राम तक ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों में सरसों के तेल का निर्यात की अनुमति को 900 अमरीकी डालर/एमटी के न्यूनतम निर्यात मूल्य के साथ निर्यात के लिए जारी रखा जाएगा।
- 1 अप्रैल, 2018 से जून 2018 तक मटर के आयात मात्रा में 1 लाख टन की पाबंदी लगाई गयी है।
- कच्चे तेल और परिष्कृत पाम ऑयल पर वर्ष 2015 के दौरान क्रमशः 12.5 प्रतिशत व 20 प्रतिशत था। अब, दिनांक 01 मार्च 2018 के कच्चे पाम ऑयल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 44 प्रतिशत और परिष्कृत पाम ऑयल पर 54 प्रतिशत कर दिया है।
- **परिणाम:** दलहन का आयात वर्ष 2016–17 में 66 लाख टन की तुलना में 10 लाख टन कम होकर वर्ष 2017–18 में 56.5 लाख टन हो गया है जिसके परिणाम स्वरूप 9775 करोड़ रु. की विदेशी विनिमय धनराशि की बचत हुई।

## प्रमुख कृषि किस्मों का निर्यात (2010–14 से 2014–18)




सरकार की निर्यातान्मुखी नीतियों के कारण समुद्रीय उत्पाद, ताजे फलों सब्जियों चावल (गैर-बासमती), चावल (बासमती) व मसाले के निर्यात में वृद्धि हुई है।




# महलानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी)

- चमन परियोजना के तहत 12 राज्यों के 170 जिलों में सात फसल के लिए फसल की सूची तैयार की गई, और प्रत्येक 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में, 1 जिले में, झूम भूमि में बागवानी के विस्तार के लिए साइट उपयुक्तता मूल्यांकन।
- फसल परियोजना के तहत 8 प्रमुख फसलों के लिए परियोजना पूर्व-फसल उत्पादन का पूर्वानुमान जारी किया गया।
- नाडाम्स परियोजना के तहत सूखे की निगरानी के लिए नई सूखा पुस्तिका, 2016 के अनुसार, उपग्रह डेटा का उपयोग करके कृषि सूखा निगरानी का कार्य किया गया।
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए क्षेत्र विसंगति, हानि मूल्यांकन, उपज विवाद समाधान और क्लस्टरिंग के लिए उपग्रह रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया गया।
- खरीफ धान के बाद दाल के लिए फसल की गहनता के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा में क्षेत्र उपयुक्तता मानचित्रण किया गया।


## फसल तीव्रीकरण के लिए गांवों की प्राथमिकता



## ख्वाबंग ब्लॉक, मिजोरम में अंगूर के लिए उपयुक्त साइटें




## झूम क्षेत्र के सैटेलाइट छवि



# राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा सहकारिता के समग्र विकास हेतु सहकारी संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है। जिसमें सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण शामिल है।

## एनसीडीसी द्वारा अभूतपूर्व निर्गमित राशि



एनसीडीसी द्वारा यूपीए के दस वर्षों 2004-14 में रुपये 35086 करोड़ राशि निर्गमित की गई वहीं मोदी सरकार के चार वर्षों 2014-18 (मार्च तक) में यह 44.59% बढ़कर रुपये 50730 करोड़ हो गई है।



## प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पीएसीएस) - कंप्यूटरीकरण

पीएसीएस / एलएसपीएस / एफएससीएस यह संस्थायें ग्राम स्तर पर कार्यरत लघु अवधि सहकारी क्रेडिट संरचना के निचले स्तर हैं। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक और बैंकिंग सिस्टम वाली सभी 63000 कार्यात्मक प्राथमिक कृषि सहकारी समिती (पीएसीएस) के कंप्यूटरीकरण और एकीकरण के लिए नाबार्ड की सहायता करेगा। यह प्रकल्प तीन वर्षों में राज्य सरकार की भागीदारी से रुपये 1900 करोड़ की अनुमानित लागत पर किया जाएगा। परियोजना का कार्यान्वयन 2017-18 से 2020-21 तक किया जाएगा।




# सूचना प्रौद्योगिकी

किसानों के लिए मोबाइल एप शुरू करना

किसान सुविधा मोबाइल ऐप



पूसा कृषि मोबाइल ऐप



संवेदनशील मानकों यथा जलवायु, पौध संरक्षण, आदान डीलरों, कृषि परामशों और मंडी मूल्य आदि पर किसानों को सूचना प्रदान करने के लिए 19 मार्च, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किसान सुविधा एप शुरू की गयी थी।

प्रधानमंत्री के प्रयोगशाला से खेत तक के सपने को साकार करने के लिए माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा पूसा मोबाइल एप किसानों की सहायता के लिए शुरू की गई। आईएआरआई द्वारा इस विकसित प्रौद्योगिकी से किसान सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

## क्रॉप इन्स्योरेंस मोबाइल ऐप



**Crop Insurance**

Premium Calculator


Sum Insured Details

Multi language Support

Company Contact Details

Crop Insurance mobile app can be used to calculate the Insurance Premium for notified crops based on area, coverage amount and loan amount in case of loanee farmer. It can also be used to get details of normal sum insured, extended sum insured, premium details and subsidy information of any notified crop in any notified area.

## एग्री मार्केट मोबाइल ऐप



**AGRIMARKET**

We are getting your location...

Markets (under 20 km)

1 Latest mandi prices (market rates)

2 Fetches the market price of commodities from markets within the range of 50 km

3 Price of any market and any commodity can be fetched

AgriMarket mobile app can be used to get the market price of crops in the markets within 50 km of the device's location. This app automatically captures the location of person using mobile GPS and fetches the market price.

There is another option to get price of any market and any crop in case person does not want to use GPS location.

Simply SCAN to get the APP

Department of Agriculture & Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India

ऋणी किसानों के मामलों में क्षेत्र कवरेज राशि और ऋण राशि पर आधारित अधिसूचित फसलों के लिए बीमा प्रीमियम के परिगणन के लिए फसल बीमा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। इससे हम सामान्य, बीमित राशि, विस्तृत, प्रीमियम ब्यौरा और किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी अधिसूचित फसल की राज्य सहायता सूचना के बारे में ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं।

मोबाइल जीपीएस का उपयोग करते हुए डिवाइस स्थान के 50 किमी. के क्षेत्र के अधीन मंडियों से जिंसों की मंडी मूल्य प्राप्त करने में कृषि मंडी ऐप का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी मंडी और किसी भी फसल का मूल्य प्राप्त करने के लिए अन्य विकल्प भी है यदि कोई व्यक्ति जीपीएस स्थान का उपयोग नहीं करना चाहता।

- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के सहयोग से आईटी विभाग ने 80 पोर्टल, अप्लिकेशन और वेबसाइट विकसित किए हैं। महत्वपूर्ण पोर्टलों में एम-किसान, सीडनेट, एग्री मार्केट, आरकेवीवाई, आत्मा, एनएचएम व एनएफएसएम इत्यादि।
- ब्लॉक स्तर पर कम्प्यूटरीकरण करने के लिए राज्य केन्द्र शासित प्रदेशों को धन राशि प्रदान की जाती है।






## सीसीई कृषि - मोबाइल एप

- ◆ खेत में संचालित कटाई पश्चात प्रयोग की सूचना को डिजिटल कराने के लिए सीसीई कृषि मोबाइल एप विकसित की है।
- ◆ जीपीएस के माध्यम से खेत का स्थान स्वतः ही ग्रहण कर लेता है।
- ◆ एप के माध्यम से लिए गए फोटोग्राफ एवं डाटा को वैब सर्वर त्वरित ट्रांसफर करता है।
- ◆ दावा निपटान समय को कम करता है और पारदर्शिता का स्तर प्राप्त किया है।

## फसल बीमा पोर्टल

- ◆ किसानों राज्यों, बीमा कंपनियों एवं बैंकों सहित सभी स्टैकहोल्डर्स के लिए एक ही पोर्टल।
- ◆ दोनों बीमा स्कीमें यथा पीएमएफबीवाई और डब्ल्यूबीसीआईएस कवर है।
- ◆ मोबाइल एप के माध्यम से और वैब पर प्रीमियम अंतिम तारीख एवं किसानों को उनके फसल एवं स्थान के लिए कंपनी संपर्कों की सूचना
- ◆ बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर एवं अधिसूचित डाटाबेस का सृजन
- ◆ ऋण/बीमा हेतु किसानों के आवेदन और बैंकों के साथ इनका समेकन।



## किसान कॉल सेन्टर (केसीसी)

- ◆ किसान कॉल सेन्टर किसानों को टॉल फ्री नम्बर 1800-180-1551 के माध्यम से फ्री में जानकारी प्रदान करता है। देश में 14 केसीसी कार्यरत है। वर्ष 2014-18 (10 मई 2018 तक) 2.64 करोड़ किसानों द्वारा किए गए कॉल के जवाब दिए गए।

# कृषि विस्तार एवं कृषि में कौशल विकास

## कृषि में कौशल विकास

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2016–17 के दौरान पहली बार आईसीएआर के विस्तार प्रभाग और भारतीय कृषि कौशल परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
- वर्ष 2016–17 के दौरान कौशल प्रशिक्षण के लिए भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) द्वारा 100 केवीके और 8 प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दी गई है।
- वर्ष 2016–17 के दौरान 216 कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए रुपये 3.52 करोड़ स्वीकृत किये गये जिसमें से 206 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- वर्ष 2017–18 में 116 कौशल प्रशिक्षण 94 प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित करने के लिए रुपये 2 करोड़ की स्वीकृत किए गए हैं।
- एक राष्ट्रीय स्तर “कौशल विकास से कृषि विकास” कार्यशाला नई दिल्ली व 4 क्षेत्रीय कार्यशाला क्रमशः मैनेज (हैदराबाद), कोलकाता, जयपुर व चण्डीगढ़ में आयोजित की गई।



कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा नई दिल्ली में 5 जनवरी, 2017 को आयोजित “कौशल विकास से कृषि विकास” राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यशाला




कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग व कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2018 को एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये।



# एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम (एसीएबीसी)


- इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि एवं संलग्न क्षेत्रों के डिग्री धारकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर अपना खुद का एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर स्थापित कर सके तथा किसानों को मार्गदर्शन और व्यवसायिक सेवाएँ प्रदान कर सके।
- प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले डिग्री धारकों को व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक लोन देने का भी प्रावधान है।
- एग्री-क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर्स योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण / सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (डीबीटी/पीएफएमएस) लागू किया है।
- एग्री-क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर्स योजना के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत मुद्रा-ऋण को शामिल किया है।
- मैनेज ऐसी एबीसी-इन्क्यूबेशन सेण्टर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए स्थापित किया गया है! जिसमें कृषि उद्यमी स्थिरता और नवीनता प्राप्त कर सकता है।
- एसी और एबीसी योजना के प्रभावी निगरानी के लिए बायो-मेट्रिक एवं साप्ताहिक बातचीत (स्काइप) का उपयोग किया जाता है।
- नि: शुल्क हेल्पलाइन नंबर/सोशल मीडिया पर प्रशिक्षण स्थिति के दैनिक अद्यतन अवगत कराता है।
- सफलतापूर्वक स्थापित कृषि उद्यमी के लिए विषय आधारित रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम (आरटीपी) का आयोजन(अप्रैल -2017 के बाद से) शुरू किया है।
- राज्य स्तर बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के सहयोग से बैंकरों और कृषि उद्यमियों की मुलाकात की प्रक्रिया स्थापित कई गई है।
- स्थापित कृषि-वेंचर्स की तीसरी पार्टी की सहायता से वार्षिक सत्यापन कराना है।

## एसी और एबीसी योजना के अंतर्गत जारी धनराशि (रु. लाख में)




पिछले चार वर्ष के दौरान एसी और एबीसी योजना को अधिक धन राशि आवंटित कर इसे बढ़ावा दिया गया है।

## एसी और एबीसी योजना के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की वृद्धि (2010-14 से 2014-18)



## एसी और एबीसी योजना के तहत स्थापित उम्मीदवारों की वृद्धि (2010-14 से 2014-18)




# इनपुट डीलरों का प्रशिक्षण (डेसी)

## योजना के उद्देश्य (डेसी)


- क्षेत्रीय समस्याओं, फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर इनपुट डीलरों को उन्मुख करने के लिए प्रशिक्षण।
- इनपुट के कुशल संचालन में इनपुट डीलरों की क्षमता का निर्माण करना।
- कृषि इनपुट के विनियमन को नियंत्रित करने वाले कानूनों के बारे में ज्ञान प्रदान करना।
- किसानों के लिए गांव स्तर (एक स्टॉप शॉप) में इनपुट डीलरों को कृषि जानकारी का एक प्रभावी स्रोत बनाना।

## इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा के तहत प्रगति

### डेसी योजना के अंतर्गत डीलरों का प्रशिक्षण



### बजट जारी



एग्री क्लीनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम (एसीएबीसी) अन्तर्गत प्रशिक्षण लेकर अपना खुद का व्यवसाय एवं मार्गदर्शन केन्द्र शुरू किया गया।


इनपुट डीलरों का प्रशिक्षण (डेसी) के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेकर इनपुट डीलर किसानों को योग्य मार्गदर्शन करते हुए।




# आत्मा योजना

- किसानों को उनकी आवश्यकता आधारित कृषि विस्तार सेवाएँ प्रदान कराना।
- वांछित विषयों पर अनुसंधान विषय विशेषज्ञ/संस्थानों के माध्यम से विभिन्न विषयों में कृषक प्रशिक्षण की विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था कराना ताकि कृषकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।
- प्रभावी विस्तार सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु 24000 खण्ड स्तरीय विस्तार कर्मियों के डिप्लायमेन्ट का प्रावधान करना।
- किसानों तथा विस्तार कर्मियों के बीच तालमेल स्थापित करने हेतु प्रत्येक दो गाँवों पर एक 'कृषक मित्र' चयनित करना।

## आत्मा योजना के अन्तर्गत प्रगति



## आत्मा योजना के अन्तर्गत आवंटित निधि



## किसान कल्याण कार्यशाला का आयोजन


02 मई, 2018 को देश के 4819 ब्लॉक स्तर पर किसान कल्याण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें लाखों किसानों को कृषि आय बढ़ाने के लिए नई तकनीकों के विषय में जानकारी दी गई। किसानों ने अपनी-अपनी सफलता की कहानी सुनाई। इन कार्यक्रमों के दौरान पशु स्वास्थ्य जांच शिविरों का भी आयोजन किया गया।



# राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई)

- कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निवेश और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य को और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्ष 2014-15 में संशोधित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की है।
- दलहनों एवं तिलहनों के लिए चावल की खाली भूमि लक्षित उप स्कीम आरकेवीवाई के अन्तर्गत एक विशेष स्कीम के रूप में वर्ष 2016-17 में आरंभ की गयी है। इस उप स्कीम के लिए आवंटित राशि रुपये 50 करोड़ है।
- मृदा अम्लता, क्षारता और लवणता की समस्या से संबंधित एक उप स्कीम समस्या ग्रस्त मृदा का सुधार आरकेवीवाई के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से शुरू की गयी है।
- कृषि के समेकित विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अन्तर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा ने वर्ष 2014-18 के दौरान 34 परियोजनाएं शुरू की है।
- सूखा प्रमाणित राज्यों में पशुओं की चारा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आरकेवीवाई के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 2014-18 के दौरान राज्यों के लिए रुपये 78.14 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत बनाई गई सम्पत्तियों का जियो-टैगिंग नेशनल रिमोट सेंसिंग सेन्टर के सहायता से शुरू किया गया।
- 2017-18 के दौरान योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र का आवंटन हिस्सा रुपये 4750 करोड़ था।
- केबिनेट ने एक 1 नवम्बर 2017 को केन्द्रीय सहायता योजना (राज्य योजना) कृषि व कृषि से सम्बन्धित क्षेत्र में आरकेवीवाई-रफ्तार (RAFTAR) योजना अगले 3 वर्ष के लिए रु. 15,722 करोड़ की मंजूर की गई।

## राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाएं



# स्वच्छता पखवाड़ा



## एक कदम स्वच्छता की ओर

- वर्ष 2017 के दौरान, स्वच्छता पखवाड़ा को 16 से 31 मई तक और 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता उच्च सेवा अभियान इस विभाग में मनाया गया। इसमें 321 कृषि बाजारों, 35 केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र और 357 संयंत्र संरक्षण संगरोध स्टेशन शामिल थे और परिसर के आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाए गए थे।
- केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह की अगुवाई में सभी मंत्रियों और अधिकारियों ने पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर अभियान में भाग लिया।
- 'स्वच्छता ही सेवा अभियान' के दौरान, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नति मेला में भाग लिया और किसानों को अपशिष्ट विघटनकारी तकनीक और जैविक खेती का प्रदर्शन किया।
- ई-नाम योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मंडी के लिए अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों की स्थापना के लिए रुपये 5 लाख का प्रावधान किया गया।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अन्तर्गत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रुपये 689.94 लाख जारी किए गए।



माननीय श्री राधा मोहन सिंह, कृषि और किसान कल्याण मंत्री स्वच्छता अभियान में शामिल होकर अन्य लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक एवं प्रोत्साहित किया।




## पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग



## डेयरी विकास : राष्ट्रीय गोकुल मिशन एवं राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मिशन

- बजट आवंटन में कई गुना वृद्धि के साथ वैज्ञानिक और समेकित रूप से देशी नस्लों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों के द्वार पर गाय और भैंसों के आनुवांशिक उन्नयन हेतु प्रजनन संसाधनों की उपलब्धता तथा ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन की स्वावलंबी व्यवस्था और द्रव नाइट्रोजन की परिवहन और वितरण प्रणाली की सुव्यवस्था सुनिश्चित करना है।

### राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत जारी की गई राशि




- दो नए राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र (उत्तर भारत—इटारसी मध्य प्रदेश में तथा दक्षिण भारत—चिन्तलादेवी, आंध्र प्रदेश में) स्थापित किये गए हैं जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी है।
- देश में पहली बार देशी नस्लों के संवर्धन और संरक्षण के लिए 20 गोकुल ग्राम की स्वीकृति 196 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ दी गई।
- एक नया हिमीकृत वीर्य केंद्र 50 लाख डोज प्रति वर्ष की क्षमता का 64 करोड़ रुपए की लागत से (बिहार के पूर्णिया जिला के अंतर्गत मरंगा में) स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त देश भर में 28 वीर्य केन्द्रों को एनडीपी-1 के तहत सुदृढ़ किया गया।
- जून 2017 में गोपाल रत्न एवं कामधेनु पुरस्कार की शुरुआत की गई तथा 10 किसानों को गोपाल रत्न एवं 12 संस्थाओं को कामधेनु पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

## राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मिशन


- दूध उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा डेयरी व्यवसाय को किसानों के लिए और लाभकारी बनाने के लिए भारत सरकार ने तीन वर्षों की अवधि के लिए 825 करोड़ रुपये के आवंटन से 2016-17 में राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मिशन योजना को प्रारंभ किया गया है जिसे अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन में शामिल कर लिया गया है जिसका उद्देश्य आधुनिक प्रजनन तकनीकों द्वारा पशुओं में दूध देने की आनुवांशिक क्षमता को तेजी से बढ़ाना है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं :

1. पशुधन संजीवनी: इसके अंतर्गत 9 करोड़ दुधारु पशुओं को चिन्हित किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य सुनिश्चितता हेतु नकुल स्वास्थ्य पत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अब तक 1.08 करोड़ पशुओं को चिन्हित किया जा चुका है।
2. आधुनिक प्रजनन तकनीक के विकास हेतु 50 इन-विट्रो तथा भ्रूण ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लैब स्थापित किये जा रहे हैं। 15 लैब का डीपीआर तैयार कर कार्य प्रारम्भ किया गया है।
3. 10 वीर्य केन्द्रों पर लिंग सॉर्टिंग संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं जिसके लिए विश्व स्तरीय निविदा आमंत्रित कर ली गई है तथा दो केन्द्रों पर यह संयंत्र शीघ्र स्थापित किये जा रहे हैं।
4. ई-पशुधन हाट का निर्माण- देशी बोवाईन नस्लों के प्रजनकों और किसानों को जोड़ने एवं बोवाईन जर्मप्लाज्म के लिए ई-मार्केट की स्थापना।
5. राष्ट्रीय जीनोमिक केंद्र: तीव्र आनुवांशिक उन्नयन के जरिए देशी नस्लों के दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जीनोमिक केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसके लिए नोडल एजेंसी का चयन कर लिया गया है।

### वीर्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि




2010-14 के मुकाबले 2014-18 के दौरान वीर्य उत्पादन में 40.25 प्रतिशत है।



## ई-पशुहाट के लाभ

- इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को देशी नस्लों संबंधी नस्ल वार सूचना मिलती है। किसान/प्रजनक इस पोर्टल के माध्यम से देशी नस्ल के पशुओं की खरीद और बिक्री कर रहे हैं। जर्मप्लाज्म के सभी रूपों की सूचना पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। किसान तत्काल इस पोर्टल का लाभ उठा रहे हैं। पोर्टल पर 6.60 करोड़ वीर्य खुराकों, 372 भ्रूण एवं 79534 जीवित पशुओं की सूचना उपलब्ध है।
- इस पोर्टल के माध्यम से पशुओं की खरीद और बिक्री में बिचौलियों की भागीदारी समाप्त की जा रही है। सभी रूपों में जर्मप्लाज्म की खरीद तथा बिक्री संबंधी पोर्टल विकसित डेयरी देशों में भी उपलब्ध नहीं है।



## ई-पशुहाट वेब पोर्टल



# डेयरी विकास


## डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि

- दुग्ध उत्पादक किसान की आय को दुगना करने के उद्देश्य से तथा श्वेत क्रांति के पूर्व प्रयासों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना “डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि” वर्ष 2017–2018 से प्रारंभ की गई है। योजना के तहत रु. 10,881 करोड़ की डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डी.आई.डी.एफ) स्थापित कर आगे बढ़ाया जाएगा। योजना के तहत विभिन्न सहकारी समितियों/दुग्ध संगठनों को सस्ते 6.5% ब्याज दर पर नाबार्ड द्वारा भारत सरकार के ऋण ब्याज अनुदान (इंट्रेस्ट सब्सिडी) से सहायित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत, 95 लाख दुग्ध किसानों से अतिरिक्त दुग्ध क्रय की सुविधा उपलब्धता, 50000 गाँवों में 28000 बीएमसी की स्थापना, 126 लाख लीटर प्रति दिन अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता का जीर्णोद्धार, 140 लाख लीटर प्रति दिन की अतिरिक्त दुग्ध अवशीतन क्षमता की स्थापना, उच्च मूल्य के दुग्ध उत्पादकों की 59.78 लाख लीटर प्रतिदिन की नवीन क्षमता— जिससे किसानों को दुग्ध का बेहतर मूल्य सुनिश्चित हो सकेगा।

## दुग्ध उत्पादन

- भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और विश्व के कुल दूध उत्पादन में 19 प्रतिशत योगदान करता है।
- पिछले चार वर्षों के दौरान डेयरी किसानों की आय में 30.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई।


### दुग्ध उत्पादन



2010–14 के मुकाबले 2014–18 में दुग्ध उत्पादन वृद्धि 23.69 प्रतिशत है। (2017–18 का डाटा अभी राज्यों लंबित हैं अतः 2017–18 का प्रोजेक्टेड डाटा का प्रयोग किया गया है।)




### किसानों को अदा की जाने वाली औसत कीमत में वृद्धि




2010-14 के मुकाबले 2014-18 के दौरान डेयरी किसानों की आय में 30.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

### प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता (ग्राम/दिन)



2013-14 के मुकाबले 2017-18 में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में 21.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।


### डेयरी को-ऑपरेटिव द्वारा दूध खरीद में वृद्धि



2010-14 के मुकाबले 2014-18 में डेयरी को-ऑपरेटिव द्वारा दूध खरीद में 39.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।


# राष्ट्रीय पशुधन मिशन

- पशुधन बीमा का क्षेत्र और कवरेज बढ़कर 300 जिलों से सभी 716 जिलों में कर दिया गया है। साथ ही, पशुधन बीमा कवरेज का विस्तार करते हुए 2 दुधारु पशुओं से 5 दुधारु पशु/अन्य पशु अथवा 50 छोटे पशु किया गया है।



- अंडा उत्पादन की वार्षिक विकास दर 6.3 प्रतिशत है।
- प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर 69 अंडे प्रति वर्ष हो गई है।

## अंडा उत्पादन



\* 2017-18 का डाटा अभी राज्यों से लंबित है अतः 2017-18 का प्रोजेक्टेड डाटा का प्रयोग किया गया है।



## पशुपालन अवसंरचना विकास निधि


- माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 के केन्द्रीय बजट में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के स्थापना के लिए समर्पित रु. 2450 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है जो कि एक अभूतपूर्व कदम है। इस राशि में लघु और गरीब किसान तथा उद्यमियों विशेषकर महिलाओं, स्व-सहायता समूह, कमजोर वर्गों को आधुनिक अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता तथा उत्पाद के बढ़े हुए मूल्य के माध्यम से लाभ दिलाने की क्षमता है। एएचआईडीएफ से पशुपालन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की जरूरतों के वित्तपोषण के लिए रु 2450 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- एएचआईडीएफ के अंतर्गत दिये जाने वाली आर्थिक सहायता से पशुपालन क्षेत्र की अवसंरचना सुविधा का विकास सुनिश्चित होगा, जिनमें विस्तृत रूप में छोटे पशु और कुक्कुट के माध्यम से इस क्षेत्र में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता दी जाएगी जो कि किसानों की आय को दुगुना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए विजन को प्राप्त करने में सहायक होगा।




## पशुधन स्वास्थ्य

- खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के आधार पर तीन क्षेत्रों को एफएमडी मुक्त क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है।

### खुरपका और मुंहपका रोग के प्रकोप में कमी




खुरपका और मुंहपका प्रकोप जो 2010-13 के दौरान 2379 से घटकर 2014-17 के दौरान केवल 632 रह गये हैं। इसके प्रकोप में 73.43 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी हुई है।




# पशुचिकित्सा शिक्षा

## पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि



2011-14 की अवधि के दौरान पहली अनुसूची में कॉलेजों की संख्या 36 थी। 2014 से 2017 के दौरान पशुचिकित्सा कॉलेजों की कुल संख्या बढ़कर 45 हो गई है जो कि 25 प्रतिशत की वृद्धि है।

## पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों की वृद्धि




प्रशिक्षित पशुचिकित्सा श्रमशक्ति को पूरा करने के संबंध में, विभिन्न पशुचिकित्सा कॉलेजों में विद्यार्थियों की सीटें 60 से बढ़कर 100 हो गई थी। 17 पशुचिकित्सा कॉलेजों में सीटों की कुल संख्या 914 से बढ़कर 1334 हो गई है जो कि 45.95 प्रतिशत की वृद्धि है।

- प्रथम अनुसूची में कॉलेजों की संख्या में बढ़ोत्तरी के कारण उत्तीर्ण होने वाले पशुचिकित्सा स्नातकों की कुल संख्या 2013-14 की अवधि के दौरान 2311 थी जो कि वर्ष 2017-18 में बढ़कर 3440 हो गयी है। इसके अतिरिक्त 09 कॉलेजों को 30.11.17 तक विभिन्न स्नातक वर्षों हेतु 660 सीटों की अनुमति दी गई।
- वीसीआई ने मौजूदा पशुचिकित्सा शिक्षा विनियम, 2008 में संशोधन किया है और अब पशुचिकित्सा शिक्षा विनियम, 2016 को 8.07.2016 को अधिसूचित किया गया है। संशोधित एमएसवीई में प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- क) वर्तमान पशुचिकित्सा शिक्षा विनियम में बी.वी.एस.सी और एएच पाठ्यक्रम में वार्षिक प्रवेश 60 से बढ़ाकर 80 कर दी गई है।
- ख) बी.वी.एस.सी. पाठ्यक्रमों के समय को 5 से बढ़ाकर 5½ वर्ष करने के साथ इंटरनशिप कार्यक्रम को 6 माह से बढ़ाकर एक वर्ष और पाठ्य कार्य को 4½ वर्ष किया गया।
- ग) एससी और एसटी/ओबीसी तथा शारीरिक रूप से विकलांग के लिए आरक्षण नीति को प्रारंभ किया गया है जोकि पूर्व एमएसवीई में नहीं थी।
- घ) बी.वी.एससी और एएच पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट घंटों को 179 घंटे से घटाकर 81 घंटे किया गया और पाठ्यक्रम सेमेस्टर के बजाय वार्षिक आधार पर होगा।
- ङ) अतिरिक्त पाठ्यक्रम/सिलेबस जैसे खतरा मूल्यांकन, महत्वपूर्ण नियंत्रण बिन्दु, जोखिम मूल्यांकन, पशु जनित खाद्य के संबंध में स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय आदि को प्रारंभ किया गया है।

# मात्स्यिकी-नीली क्रांति

## मछली उत्पादन



2010-14 के दौरान मछली उत्पादन 355.16 लाख टन था जो कि 2014-18 में बढ़कर 450.18\* लाख टन हो गया है। इसमें 26.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

\*2017-18 के अनुमानित आंकड़े


## गहन समुद्री मत्स्यन

- विभाग ने 9 मार्च 2017 को नीली क्रांति योजना के तहत “डीप सी फिशिंग हेतु सहायता” नामक एक नया उप-घटक प्रारंभ किया है। यह परम्परागत मछुआरों को डीप सी फिशिंग में प्रोत्साहित करेगा और तुलनात्मक रूप से उच्च आय सृजन के साथ उनकी आजीविका में सहयोग करेगा। उप-घटक का उद्देश्य परम्परागत मछुआरों हेतु क्षेत्रीय जल के पार भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हमारे मछुआरों को गहन समुद्र में मत्स्य संसाधनों के दोहन, परिचालन के लिए मध्यम आकार के आधुनिक डीप सी फिशिंग यानों (डीएसएफबी) को प्रारंभ करना है। भारत के मा. प्रधानमंत्री ने 27.07.2017 को रामेश्वरम में 05 पात्र लाभार्थियों को कार्य-आदेश का वितरण करके इस योजना की शुरुआत की है। नीली-क्रांति योजना के तहत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में डीप-सी-फिशिंग वेसेल्स निर्माण हेतु तमिलनाडु सरकार को कुल रु. 300 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।




## मछुआरा कल्याण

### मछुआरों के हितों के मद्देनजर बचत-सह-राहत राशि में वृद्धि



- मछुआरा समुदाय हेतु वार्षिक बीमा प्रीमियम जो पहले रु. 29.00 था, उसे कम करते हुए रु. 20.34 किया गया। इसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से समेकित करते हुए अब रु. 12.00 कर दिया है।
- आकस्मिक मृत्यु और स्थाई अपंगता हेतु बीमा कवर 1.00 लाख रु. से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. कर दिया गया है।

### मात्स्यिकी अवसंरचना विकास



मात्स्यिकी अवसंरचना विकास हेतु जारी किए गए केन्द्रीय राशि में 72.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगले पांच वर्षों (2018-19 सहित) में अनुमानित व्यय 7722 करोड़ है जिसमें 7522 करोड़ मात्स्यिकी तथा जलकृषि अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत होगी।

## ‘मात्स्यिकी तथा जलकृषि अवसंरचना विकास निधि’

### ( एफ.आई.डी.एफ ) का सृजन

केंद्रीय सरकार ने अपने बजट-2018 में ‘मात्स्यिकी तथा जलकृषि अवसंरचना विकास निधि’ (एफ.आई.डी.एफ) की स्थापना के लिए समर्पित रु. 7,522.48 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है। इस फंड में 40 लाख समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरों, विशेषकर महिलाओं, सेल्फ-हेल्प-ग्रुप, कमजोर वर्गों को आधुनिक अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता तथा उत्पाद के बढ़े हुए मूल्य के माध्यम से लाभ दिलाने की क्षमता है। यह फंड

- मात्स्यिकी क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करेगा,
- मछली पकड़ने और संबद्ध गतिविधियों में ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा,
- मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए योगदान देगा,
- कई गुना लाभ के अवसर प्रदान करेगा तथा
- संपूर्ण मात्स्यिकी संभावनाओं के दोहन की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा किसानों की आय को दुगुना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए विजन को प्राप्त करने में सहायक होगा।


### भारत-श्रीलंका के मछुआरों संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु उठाये गये कदम

5 नवंबर, 2016 को भारत-श्रीलंका के बीच मंत्रिस्तरीय स्तर की वार्ता हुयी थी, जिसमें दोनों देशों के मंत्रियों ने मात्स्यिकी पर एक संयुक्त कार्य-दल (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना पर, जिसकी हर तीन महीनों में मीटिंग होगी तथा मात्स्यिकी के मंत्रियों के बीच हर छह महीने में एक बैठक पर सहमति व्यक्त की गई। विचार-विमर्शों से यह स्पष्ट हुआ है कि पाल्क-खाड़ी क्षेत्र में तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा ‘बॉटम-ट्रालिंग’ का अंत ही भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों की समस्याओं के स्थायी समाधानों में से एक है। पाल्क-खाड़ी क्षेत्र में ‘बॉटम-ट्रालर्स’ का ‘टूना-लांग-लाइनर्स’ से प्रतिस्थापन करने के लिए, तथा इस हेतु तमिलनाडु को वित्तीय सहायता प्रदान के लिए डीएडीएफ ने ‘नीली-क्रांति’ योजना के तहत एक नया उप-घटक डीप-सी फिशिंग में सहायता शुरू किया है। डीएडीएफ और तमिलनाडु सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच मछुआरों के मुद्दों के शीघ्र समाधान की दिशा में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए ‘टूना-लांग-लाइनर्स’ की योजना को लागू करने के लिए प्रभावी ढंग से कई कदम उठाए गए हैं जिससे किसानों की आय दुगुनी करने में मदद मिलेगी।



विगत दो वित्तीय वर्षों (2016–17 और 2017–18) के दौरान, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की नीली क्रांति संबंधी सीएसएस और पोत परिवहन मंत्रालय की सागरमाला के बीच सह-निधियन के द्वारा कार्यान्वयन के सम्मिलन आधार पर कार्यान्वयन के लिए रु. 337.67 करोड़ की केंद्रीय देयता के साथ रु. 642.75 करोड़ की कुल लागत से चार नई मत्स्यन बंदरगाह परियोजनाओं और सासून डॉक, मुंबई में एक विद्यमान मत्स्यन बंदरगाह के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है।

**सह निधियन के आधार चार नए बंदरगाहों का निर्माण तथा एक बंदरगाह का आधुनिकीकरण**



(नीली क्रांति और सागरमाला के अन्तर्गत परियोजनाएँ)



## व्यापार - हमारी प्राथमिकता

- सभी 6 पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्रों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, और बंगलुरु द्वारा पशुधन और पशुधन उत्पादों के ऑन-लाईन निकासी हेतु एकल खिड़की प्रणाली का कार्यान्वयन।
- पशुधन उत्पादों के आयात हेतु ऑन-लाईन प्राप्ति और एसआईपी आवेदनों के प्रसंस्करण हेतु स्वच्छता आयात परमिट (एसआईपी) वेबसाइट 01.10.2016 से पूर्णतया कार्यान्वित तथा अभी तक कुल 5545 SIP ऑन लाईन जारी किए जा चुके हैं।
- 18 नये अतिरिक्त प्रवेश बिन्दुओं को पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात/निर्यात हेतु अधिसूचित किया गया है।
- बांग्लादेश से पशुधन और पशुधन उत्पादों के निर्यात/आयात को सुगम बनाने के लिए एक्यूसीएस कार्यालय, पेट्रापोल आईसीपी, पश्चिम बंगाल का उद्घाटन किया जा चुका है।



# कृषि उन्नति मेला

कृषि उन्नति मेला का आयोजन 2016 से प्रति वर्ष किया जा रहा है जिसमे भारत के कृषि तथा पशुपालन से सम्बंधित सरकारी संस्थाओं, निजी कंपनियों तथा राज्य सरकारों ने भाग लिया। भारत के सभी कोनों से किसानों ने प्रतिभागिता दिखाई। कृषि उन्नति मेला-2018 के दौरान किसानों द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष कुक्कुट पालन से सम्बंधित इंटीग्रेटेड मॉडल, मछली पालन से सम्बंधित श्रिम्प फार्मिंग, समुद्री खरपतवार कल्चर, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम मॉडल का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा हिमीकृत वीर्य सम्बंधित तकनीक, मछली पालन सम्बंधित तकनीक तथा उपकरण, भ्रूण तकनीक हस्तांतरण, ट्राउटपालन इत्यादि का प्रदर्शन किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री को कुक्कुट पालन से सम्बंधित इंटीग्रेटेड मॉडल को दर्शाती महिला किसान





# कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद



मिश्रित खेती, खुशियों की खेती, समेकित कृषि प्रणाली विषय पर  
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पहली झांकी,  
69वीं गणतन्त्र दिवस परेड, नई दिल्ली




महामहिम राष्ट्रपति, माननीय  
उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री  
एवं माननीय कृषि एवं किसान  
कल्याण मंत्री द्वारा भारतीय कृषि  
अनुसंधान परिषद के अधिकारियों  
एवं कलाकारों का सम्मान

# उच्चतर कृषि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति

## उच्चतर कृषि शिक्षा हेतु बजट आवंटन में वृद्धि

- वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2018-19 तक उच्चतर कृषि शिक्षा के क्षेत्र में वजटीय आवंटन में 55.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई



उच्चतर कृषि शिक्षा हेतु बजट आवंटन में वृद्धि

## राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना

- 165.0 मिलियन डॉलर (1100 करोड़ रु.) के परिव्यय के साथ स्वीकृत
- 50:50 लागत साझा करने के आधार पर विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित
- योजना की अवधि : चार वर्ष (2017-18 से 2020-21)

पांचवी डीन्स समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों को कृषि विश्वविद्यालयों में वर्ष 2016-17 से लागू किया गया एवं चार नए डिग्री कार्यक्रम आरंभ किए गए

- बी.टेक (जैवप्रौद्योगिकी)
- बी.एस.सी समुदाय विज्ञान
- बी.एस सी खाद्य पोषण एवं आहार विज्ञान
- बी.एस.सी रेशम कीट पालन


## कृषि विज्ञान संबंधी विषयों की डिग्रीयों को व्यावसायिक डिग्री घोषित किया गया

डिग्री प्रोग्राम के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों का वितरण निम्नवत व्यवस्थित किया गया

- प्रथम वर्ष में पारंपरिक पाठ्यक्रम
- द्वितीय वर्ष में प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रम
- तृतीय वर्ष में प्रतिभा आधारित पाठ्यक्रम
- चतुर्थ वर्ष में व्यापार आधारित पाठ्यक्रम



पांचवी डीन्स' समिति द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम



## अनिवार्य समान पाठ्यक्रम आरंभ किए गए

सभी कृषि विश्वविद्यालयों में समिति की रिपोर्ट कार्यान्वित की गई जिससे देश भर में स्नातक छात्रों के लिए पाठ्यक्रमों में समानता सुनिश्चित की गई।

## नए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई

- आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश एवं श्री कोण्डा लक्ष्मण राज्य बागवानी विश्वविद्यालय, तेलंगाना दोनों ही को 135.0 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई।



- करनाल, हरियाणा में नव स्थापित महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय हेतु 2016-17 में 5.00 करोड़ रु. की सहायता उपलब्ध कराई गई।



### प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वी क्षेत्र के लिए पैकेज

- एक नए संस्थान नामतः भारतीय पादप जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, रांची की स्थापना की गई
- राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय का डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में उन्नयन किया गया
- पटना एवं गोहाटी में दो नए कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों (अटारी) की स्थापना की गई
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), पूसा, नई दिल्ली की तर्ज पर दो नए संस्थानों की स्थापना की गई
  - ◆ आईएआरआई, झारखंड
  - ◆ आईएआरआई, असम
- पटना, बिहार में नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना के साथ जैविक खेती पर राष्ट्रीय केन्द्र के क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की गई।
- मोतीहारी, बिहार में समेकित खेती संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई
- पीपराकोठी, मोतिहारी में नए हॉर्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना
- चार (04) नए कृषि विज्ञान केन्द्रों (रामगढ़, झारखंड में 01 तथा असम में 03) की स्थापना की गई
- भाकृअनुप-पूर्वी क्षेत्र के अनुसंधान केन्द्र (आरसीईआर), पटना में दूसरे हरित क्रांति कक्ष की स्थापना की गई
- कोरापूट, उड़ीशा में भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, देहरादून का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित।



- भुवनेश्वर, उड़ीशा में पशुओं की खुरपका एवं मुंहपका बीमारी के निदान हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित।

### पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी-सूची तैयार की गई

किरमें/नस्ल	275
उत्पादन प्रौद्योगिकियां	20
प्रबंधन पद्धतियां	40
आईएफएस/आरसीटी/फसल प्रणालियां	21
उत्पाद/प्रक्रिया/मॉडल	59
प्रौद्योगिकियों का मानकीकरण	38

### उत्तरपूर्वी क्षेत्र में उच्चतर कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के अन्तर्गत 6 नए महाविद्यालय खोले गए, जिससे महाविद्यालयों की कुल संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई।

- अरुणाचल एवं मेघालय राज्यों में एक-एक कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए
- मिजोरम एवं सिक्किम में एक-एक बागवानी महाविद्यालय स्थापित किए गए
- नागालैंड में एक पशुचिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय स्थापित किए गए
- इम्फाल, मणिपुर में एक खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थापित किया गया



इनके अतिरिक्त


- 2016-17 से रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के अतर्गत दो नए महाविद्यालय क्रमशः बागवानी महाविद्यालय एवं वानिकी महाविद्यालय आरंभ किए गए।

## स्टूडेंट रेडी


माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 25 जुलाई 2015 को आरंभ स्टूडेंट रेडी योजना के तहत, सभी छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली अध्येतावृत्ति वर्ष 2016-17 से रु. 750 प्रतिमाह से बढ़ाकर रु. 3000 प्रतिमाह कर दी गई है।



## छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली अध्येतावृत्ति में वृद्धि




## कृषि विश्वविद्यालयों में खोली गई नई अनुभवजन्य शिक्षण इकाईयाँ



खोली गई नई अनुभवजन्य शिक्षण इकाईयाँ छात्रों को प्रशिक्षण के साथ-साथ लाभ कमाने का वास्तविक अनुभव प्रदान करती हैं।

## स्नातक स्तर के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति में दो गुना वृद्धि



राशि को रु. 1000 प्रतिमाह से बढ़ाकर रु. 2000 प्रतिमाह किया गया (1351 लाभार्थी)

## नए महाविद्यालयों की स्थापना के लिए न्यूनतम मानक स्थापित

कृषि विज्ञान के विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने हेतु एवं उच्चतर कृषि शिक्षा हेतु नए महाविद्यालयों की स्थापना के लिए न्यूनतम मानक (Minimum Standards) स्थापित किये गये।





## कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग

भारतीय संस्थानों की रैंकिंग पर की गई राष्ट्रीय पहल की तर्ज पर कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की गई। इस आधार पर किए मूल्यांकन द्वारा 57 कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग कर निम्नांकित विश्वविद्यालयों ने इस रैंकिंग में प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए: 1. भाकृअप—डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल 2. भाकृअप—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली 3. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना



## विद्यालय स्तर पर कृषि शिक्षा प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रम (सिलेबस) तैयार किए गए

- कृषि में युवा प्रतिभा को आकर्षित करने के उद्देश्य से, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग / भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (डायर/भाकृअप) ने विद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आरंभ करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है। मंत्रिमंडल द्वारा 2015 में प्रदान की गई अनुशंसा के बाद, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग / भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (डायर/भाकृअप) नियमित रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में कृषि शामिल करने हेतु प्रयासरत है



## पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना


- 32 एसएयू में जैविक खेती/प्राकृतिक खेती एवं गौ आधारित अर्थव्यवस्था पर 130 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए
- 5.35 करोड़ रु. के बजट के साथ 100 केंद्रों की पहचान की गई
- 5 क्षेत्रीय कार्यशालाएं व प्रशिक्षणों (लखनऊ, कोल्हापुर, अविकानगर, अमृतसर एवं झांसी) का आयोजन किया गया

## नेताजी सुभाष-भाकृअप अंतर्राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां


- विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित मानव संसाधनों का विकास किया गया (भारतीय छात्रों के लिए)—105 छात्र लाभान्वित
- विदेशी छात्रों को देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों में प्रायोगिक प्रशिक्षण की सुविधा एवं कार्य करने का अनुभव प्रदान किया गया – 28 विदेशी छात्र लाभान्वित
- इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 30 छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया गया है। विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को 2000 डॉलर प्रति माह एवं भारत आने वाले विदेशी छात्रों के लिए 40,000 रु. प्रति माह भाकृअप द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। भाकृअप के संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत/नए विद्यार्थी दोनों इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं



## भारतीय छात्रों का प्रमुख विदेशी विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों में प्लेसमेंट




## विदेशी छात्रों का प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों में प्लेसमेंट




## राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस

स्कूली छात्रों के बीच कृषि एवं कृषि संबंधी शिक्षा के बारे में जागरूकता सृजन करने हेतु प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की स्मृति में 3 दिसम्बर को राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस घोषित किया गया।



## कृषि विश्वविद्यालयों की आधिकारिक मान्यता (Accreditation) पर बल



आधिकारिक मान्यता की प्रक्रिया को और वस्तुपरक बनाने हेतु भाकृअप ने "भारत में उच्चतर कृषि संबंधी शिक्षा संस्थानों की आधिकारिक मान्यता के लिए दिशा निर्देश" तैयार कर प्रकाशित किए हैं

# किसानों की आय दोगुनी करने हेतु भाकृअप की नई पहलें

## नई फसल किस्में विकसित की गईं

पिछले 4 वर्षों के दौरान कुल 795 किस्में जारी की गईं जबकि उससे पहले के 4 वर्षों के दौरान कुल 448 किस्में जारी की गई थी। प्राप्त की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं।

- **पोषक तत्वों से समृद्ध फसलों की किस्मों का विकास:** इस अवधि के दौरान भाकृअप ने पहली बार फसलों की 20 ऐसी किस्मों का विकास किया जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य से काफी अधिक है।
- **जलवायु अनुकूल फसल किस्में:** वर्ष 2014-18 के दौरान कुल 495 किस्में जारी की गईं जबकि उससे पहले के 4 वर्षों के दौरान 289 किस्में जारी की गई थीं।
- **बीटी कपास की किस्मों का विकास:** पहली बार भाकृअप ने वाणिज्यिक खेती के लिए कपास के बॉलवर्म के प्रति सहिष्णु 8 जीएम बीटी कपास की किस्में विकसित की जिनके बीज किसानों को 200 ₹ प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होंगे। इन किस्मों के बीज किसान 2 से 3 वर्षों तक इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बीटी कपास संकर किस्मों के मामले में संभव नहीं है जहां प्रत्येक वर्ष महंगे बीजों को खरीदना पड़ता है।
- **अतिरिक्त अगेती पकने वाली मूंग की किस्म:** मूंग की आईपीएम 205-7 (विराट), अतिरिक्त अगेती (52-55 दिन) और उच्च प्रोटीन किस्म तथा पूसा अगेती मसूर (L 4717), अल्पावधि (100

दिन) और आयरन समृद्ध किस्में अपनी तरह की पहली किस्में हैं।


- **संरक्षित कृषि के लिए उपयुक्त किस्में:** गेहू की किस्म, HD CSW 18 ऐसी पहली किस्म है जिसका प्रजनन संरक्षण कृषि के लिए किया गया जो जल की आवश्यकता को कम कर देगी, जिसमें कम निवेश होंगे और जो अवशिष्ट प्रबंधन में सहायता प्रदान करेगी। ऐसी एक अन्य किस्म HD 3117 को भी संरक्षण कृषि प्रणाली के तहत पछेती बुवाई की परिस्थिति के लिए जारी किया गया।
- **फसल सुधार में जैव प्रौद्योगिकियों का प्रयोग:** भाकृअप ने मार्कर समर्थित चयन (Marker Assisted Selection) का प्रयोग करते हुए पिछले 4 वर्षों के दौरान 24 किस्में विकसित की जबकि उससे पहले के 4 वर्षों के दौरान इस विधि से मात्र 2 किस्मों का विकास हुआ।

## अपशिष्ट से धन का सृजन करने के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकियां


भाकृअप के संस्थानों ने अपशिष्ट से धन का सृजन करने के लिए 30 से अधिक प्रौद्योगिकियों का विकास किया है। इनमें केले के तने, जलकुम्भी, नारियल के छिलके, बांस एवं कपास के अवशिष्ट, आदि से विकसित उत्पाद, झींगा मछली कवच से कार्बोनिट एवं काइटोसोन का उत्पादन, समुद्री सिवार (Sea weed) से औषधीय उत्पाद, किन्नो के छिलके से औषधीय गुणों से युक्त एल्कोहलिक पेय, जूट स्टिक्स से पार्टिकल बोर्ड का निर्माण शामिल हैं।

## वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के संबंध में राज्य विशिष्ट दस्तावेज

किसानों की आय को दोगुना करने के संबंध में सरकार के प्रयासों को बल देने के लिए भाकृअप ने सभी राज्यों के लिए प्रौद्योगिकी पर फोकस करते हुए राज्य विशिष्ट कार्यनीति दस्तावेज विकसित किए हैं। 8 मार्च, 2018 को भाकृअप-निदेशक सम्मेलन के दौरान इन दस्तावेजों को जारी किया गया है। उनसे संबंधित राज्य की सभी कृषि-पारिस्थितिकियों में उनके कार्यान्वयन हेतु यह दस्तावेज मुख्यमंत्रियों तथा साथ ही मुख्य-सचिवों को प्रस्तुत किए गए हैं।



## उत्पादकता एवं आय बढ़ाने के लिए नई किस्में




फसल समूह	2010 से मार्च 2014	2014 से मार्च 2018
अनाज	255	437
दलहन	63	112
तिलहन	70	116
अन्य	60	130
कुल	448	795


वर्तमान 4 वर्षों (2014 से 2018) और इससे पहले के 4 वर्षों के दौरान (2010 से 2014) जारी की गई फसल किस्में

### प्रजनक बीज उत्पादन

अधिकांश फसलों में प्रजनक बीज का उत्पादन मांग से अधिक था



वर्तमान चार वर्षों एवं पूर्ववर्ती चार वर्षों के दौरान फसल-वार प्रजनक बीज की मांग एवं उत्पादन



हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

## फसल सुधार में जैव तकनीकियों (Molecular breeding techniques) का उपयोग कर विकसित की गई किस्में

मई 2010 से अप्रैल 2014	मई 2014 से अप्रैल 2018
2 किस्में विकसित की गई हैं	24 किस्में विकसित की गई हैं
<ul style="list-style-type: none"> <li>पूसा बासमती 1 (धान)</li> <li>एचबीबी 67 इमप्रूव्ड (बाजरा)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>धान की 19 किस्में</li> <li>ब्रैड गेहूं की 1 किस्म</li> <li>मक्का की 4 किस्में</li> </ul>

**कुपोषण से लड़ने के लिए पोषक तत्वों से समृद्ध फसलों की किस्मों का विकास**

- धान:** सीआर धान 310: प्रोटीन 10.3 प्रतिशत  
डीआरआर धान 45: जिंक 22.6 पीपीएम  
जीएन आर-4: अधिक आयरन (91 पीपीएम), आहार रेशे (2.87%), बीटा-कैरोटीन (0.53 पीपीएम)  
डीआरआर धान 48: अधिक जिंक (22 पीपीएम)  
डीआरआर धान 49: अधिक जिंक (25.2 पीपीएम)
- गेहूं:** डब्ल्यूबी 02: अधिक जिंक (42.0 पीपीएम) अधिक आयरन (40.0 पीपीएम)  
एचपीबीडब्ल्यू 01: आयरन (40.0 पीपीएम) एवं जिंक (40.6 पीपीएम)
- मक्का:** पूसा विवेक क्यूपीएम 9 उन्नत: प्रो- विटामिन-ए (8.15 पीपीएम), लायसीन (2.67%) एवं ट्रिप्टोफेन (0.74%)  
पूसा एचएम 4 उन्नत: ट्रिप्टोफेन (0.91%) एवं लायसीन (3.62%)  
पूसा एचएम 8 उन्नत: ट्रिप्टोफेन (1.06%) एवं लायसीन (4.18%)  
पूसा एचएम 9 उन्नत: ट्रिप्टोफेन (0.68%) एवं लायसीन (2.97%)
- बाजरा:** एचएचबी 299: आयरन (73.0 पीपीएम) एवं जिंक (41.0 पीपीएम)  
एचएचबी 1200: आयरन (73.0 पीपीएम)
- मसूर:** पूसा अगेती मसूर: आयरन (65.0 पीपीएम)
- सरसों:** पूसा डबल जीरो 31: इरुसिक एसिड <2.0 प्रतिशत एवं ग्लूकोसिनोलेट <3.0 पीपीएम  
पूसा सरसों 30: इरुसिक एसिड <2.0 प्रतिशत
- फूलगोभी:** पूसा बीटा केसरी 1: बीटा कैरोटिन 8.0 – 10.0 पीपीएम
- शकरकंद:** भू सोना: अधिक बीटा कैरोटिन (14.0 मि. ग्रा./100ग्रा.)  
भू कृष्णा: एंथोसायनिन (90.0 मि. ग्रा./100ग्रा.)
- अनार:** सोलापुर लाल: अधिक आयरन (5.6– 6.1 मि. ग्रा./100ग्रा.), जिंक (0.64–0.69 मि. ग्रा./100ग्रा.) एवं विटामिन सी (19.4–19.8 मि. ग्रा./100ग्रा.)



## पूर्व विकसित मेगा किस्मों से अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति

- भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा विकसित गन्ने की उन्नत किस्म Co-0238 (12% शर्करा) का रकवा उत्तर प्रदेश एवं निकटवर्ती राज्यों में 14.75 लाख हैक्टर तक पहुंच चुका है। इस किस्म से प्रचलित किस्मों की अपेक्षा 1.5 से 2 प्रतिशत अधिक शर्करा की प्राप्ति होती है। पिछले चार वर्षों में अकेले इस किस्म की वजह से किसानों एवं गन्ना मिल चालकों की आय में प्रचलित किस्मों की अपेक्षा 6550.00 करोड़ रु. की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई।
- गेहूं की मुख्य किस्म HD 2967 की खेती वर्तमान में पूरे देश में 10 मिलियन हैक्टर से भी अधिक क्षेत्र में की जा रही है और इसके प्रजनक बीजों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जो कि 2017-18 के दौरान 3600 क्विंटल तक पहुंच गई जो भारतीय कृषि के इतिहास में किसी एक प्रजाति की अभी तक की सबसे बड़ी मांग है।
- भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली द्वारा विकसित बासमती चावल की उल्लेखनीय किस्म, पूसा बासमती 1121 के निर्यात से वर्ष 2014 से 2017 के दौरान देश को 71900 करोड़ रु. के बराबर विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई जो वर्ष 2011-14 (62800 करोड़ रु.) की तुलना में 9,100 करोड़ रुपये (14.50 प्रतिशत) अधिक है।
- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु द्वारा विकसित टमाटर की किस्म अर्का रक्षक जो कि पर्ण कुंचन वायरस, जीवाण्विक मुरझान एवं अगेता झुलसा के लिए प्रतिरोधी है, ने 120 टन प्रति हेक्टेयर की उपज क्षमता के साथ बाजार में उपलब्ध सभी वाणिज्यिक संकरों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस किस्म का प्रसार देश भर में हुआ है, 27 राज्यों में 20,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में इसे उगाया जा रहा है। जिससे किसानों को पिछले 4 वर्षों में 400 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हुई है।



## बागवानी फसलों की जारी की गई किस्में

क्र.सं.	फसलें	विकसित किस्में
1.	फल	10
2.	सब्जी	78
3.	पुष्प	3
4.	आलू	2
5.	प्याज	11
6.	लहसून	8
7.	मसाले	14
8.	नारियल	7
9.	कन्द	2
10.	काजू	1
	<b>कुल</b>	<b>136</b>

## सेब की अधिक उत्पादकता के लिए उच्च घनत्व रोपण

रोपण: उच्च घनत्व (2.5m×2.5m).

वृक्ष की कटाई-छंटाई: नियमित वार्षिक छंटाई के साथ-साथ रूपांतरित केन्द्रीय सीढ़ीनुमा प्रणाली

बूंद-बूंद सिंचाई तथा संस्तुत खाद, ऊर्वरक एवं पादप सुरक्षा

7.5 टन/हे. से 30-35 टन/हे. की वर्तमान उत्पादकता में बढ़ोतरी



## बागवानी में चुनिंदा नई किस्में



### मेदिका-एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर अंगूर

उच्च एंटी ऑक्सीडेंट मात्रा तथा जूस के लिए उपयुक्त मेदिका अंगूर (लाल गुलाबी)।



### अमरुद हाइब्रिड अर्का किरण

फल का वजन: 200-220 ग्राम

लाइकोपिन की उच्च मात्रा: 6-7 एमजी/100 ग्राम

मुलायम बीज उपज: 30 से 35 टन/हे.



**काजू हाइब्रिड (एच-126) :** जम्बो नट (11-12 ग्राम प्रति नट), बड़ा आकार होने से निर्यात के लिए उपयुक्त।



### धनिया अजमेर कोरिंगडर-1

बीज उत्पादन एवं हरी सब्जी के लिए उपयुक्त


बीज की अधिक उपज: 12.5 क्विंटल/हे.

अवधि: 150-152 दिन, स्टेप गाल प्रतिरोधी




# प्रयोगशाला से खेत तक: प्रमुख पहलें

किसानों के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना



प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, बीज उत्पादन एवं मृदा परीक्षण



हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

## किसानों के खेत पर परीक्षण एवं प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा बीज, रोपण सामग्री एवं पशुधन/मछली बीज उत्पादन



केवीके द्वारा कार्यान्वित  
ऑन फार्म परीक्षण

1.32 लाख

केवीके द्वारा कार्यान्वित  
अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन

5.04 लाख

प्रशिक्षित किसान

53.96 लाख

प्रशिक्षित प्रसार  
कर्मी

5.62 लाख



प्रसार कार्यक्रमों में 540.04 लाख किसानों की भागीदारी





केवीके द्वारा बीज का  
उत्पादन एवं वितरण

184600 टन

रोपण सामग्री का  
उत्पादन एवं वितरण

1711.91 लाख

उत्पादित पशुधन एवं  
मछली बीज (संख्या)

950.22 लाख

मृदा, जल, पौधा, उर्वरक  
नमूनों का परीक्षण (संख्या)

20.90 लाख



कृषि विज्ञान केन्द्रों, अनुसंधान संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों में  
150 दलहन बीज हब स्थापित

किसानों को प्रदान किए गए मोबाइल एग्रो-एडवायजरी की  
संख्या 1022.67 लाख



हर कदम, हर डगर

किसानों का हमसफर

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद


*Agrisearch with a human touch*

हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

## मेरा गाँव मेरा गौरव




- इस योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के विभिन्न संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों से 4-4 वैज्ञानिकों के समूह 5 चयनित गांवों को अपनाकर कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन एवं अन्य कृषि तकनीकियों का अनुभव सीधे किसानों से साझा करते हैं जिससे किसानों की समस्याओं का शीघ्र सामाधान हो सके एवं आय में वृद्धि हो।
- किसानों को ज्ञान, कौशल और सूचना में सहायता
- समय पर चेतावनियाँ और परामर्श जारी करना



- आदानों, सेवा प्रदाताओं आदि के संबंध में सूचना प्रदान करना
- गांवों का विकास करने के लिए विभिन्न विभागों और संगठनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना
- वैज्ञानिक दलों द्वारा 13500 गांवों में कार्य

## युवाओं को कृषि की तरफ आकर्षित कर उनकी अभिरुचि बनाए रखना (आर्या)




- ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को विभिन्न कृषि और सम्बद्ध और सेवा क्षेत्रों के उद्यमों की ओर आकर्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना
- प्रसंस्करण मूल्यसंवर्धन, मार्केटिंग और नेटवर्किंग पर बल
- उद्यमिता विकास और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन
- 25 राज्यों में 25 कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा कार्यान्वयन
- 2467 ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित कराते हुए 930 इकाइयों की स्थापना

- वर्ष 2016-17 के दौरान पहली बार भारतीय कृषि दक्षता परिषद और आरकेवीवाई के साथ सहयोग से देश के 97 कृषि विज्ञान केन्द्रों ने 190 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन कर 3318 ग्रामीण युवाओं को रोजगार परक परियोजनाओं में प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित किया गया।



## फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत समग्र ग्राम विकास हेतु कृषि मॉडल

- भूमिहीन सहित गाँव के समस्त परिवार हेतु कृषि मॉडल पर कार्य
- 48291 किसान परिवार को कवर करते हुए भाकृअप संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत 51 केन्द्रों द्वारा कार्यान्वयन
- किसान-वैज्ञानिक का नियमित संपर्क
- स्थानीय परिस्थिति के अनुसार तकनीकी का प्रयोग एवं फीडबैक
- किसानों के साथ भागीदारी और समूह गठन कर कार्य
- परियोजना के अनुभवों का संग्रह एवं प्रसार



## फसल बीमा योजना एवं वर्ल्ड स्वॉयल डे पर जागरूकता कार्यक्रम

- केवीके द्वारा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, वर्ल्ड स्वॉयल डे एवं संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम आयोजित किए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा केवीके प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए देश के सभी भागों में 562 स्थानों पर संकल्प से सिद्धि कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इन जागरूकता कार्यक्रमों में 10 लाख से अधिक किसानों की भागीदारी के साथ केंद्र एवं राज्य सरकारों के 50 से अधिक मंत्री, 300 संसद सदस्य, 500 विधायक और केन्द्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।





## फसल अवशेषों को जलाने से रोकने में केवीके की पहलें

भाकृअप की कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के साथ साझेदारी से



- 35 केवीके द्वारा व्यापक अभियान चलाया गया
- 45000 किसानों को प्रोत्साहित किया गया
- डीडी किसान चैनल पर विशेष वाद-संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया
- हैप्पी सीडर, शून्य जुताई मशीन, अवशेषों की मशीन द्वारा पुलिया बनाना एवं बांधना एवं अन्य अवशेष प्रबंधन क्रियाओं पर 4708 हैक्टेयर क्षेत्र में 1200 सीधा प्रदर्शन संचालित किए गए




भाकृअनुप द्वारा तैयार की गई फसल अवशेष प्रबंधन पर कार्यनीति




पंजाब एवं हरियाणा में विगत दो वर्षों के दौरान फसल अवशेषों को जलाने का सैटेलाइट चित्रण द्वारा आकलन


पंजाब 2016




पंजाब 2017



हरियाणा 2016



हरियाणा 2017



निगरानी अवधि: 10—अक्तूबर से 14—नवंबर

## कृषि उन्नति मेला



प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 17 मार्च, 2018 को दिल्ली में कृषि उन्नति मेले में 25 कृषि विज्ञान केंद्रों की आधार शिला रखी

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में कृषि उन्नति मेले का बड़े पैमाने पर आयोजन वर्ष 2016 से लगातार हो रहा है। मेले का उद्देश्य किसानों को कृषि, बागवानी, पशुपालन, मात्स्यिकी, मधुमक्खी पालन आदि पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना एवं उन्नत कृषि तकनीकियों को देश के कोने-कोने के कृषकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है जिससे कृषि को एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जा सके एवं किसानों की आमदनी में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। मेलों का आयोजन अत्यंत सफल रहा एवं इनमें प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक किसानों ने भागीदारी की। वर्ष 2018 के दौरान कृषि उन्नति मेले का आयोजन मार्च 16-18 के बीच किया गया।



- माननीय प्रधानमंत्री ने 17 मार्च, 2018 को किसानों को संबोधित किया, जैविक खेती पोर्टल का उद्घाटन किया और 25 कृषि विज्ञान केंद्रों की आधारशिला रखी।
- प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार एवं पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, दिनांक 17.03.2018 को आईएआरआई मेला ग्राउंड में कृषि उन्नति मेले 2018 के अवसर पर, श्रोताओं को संबोधित करते हुए।

प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए।

- कृषि एवं संवर्गी क्षेत्र की प्रौद्योगिकियों, का सीधा प्रदर्शन

### मेले की प्रमुख झलकियां:

- नवीनतम कृषि एवं संवर्गी क्षेत्र की प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन हेतु 800 से अधिक स्टॉल लगाए गए
- सूक्ष्म-सिंचाई, अपशिष्ट जल उपयोग, पशुपालन (पशुधन) एवं मत्स्य पालन आदि तकनीकियों का सीधा प्रदर्शन किया गया
- कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि विषयों पर सेमिनार एवं सम्मेलन आयोजित किए गए

### निम्नलिखित विषय-क्षेत्रों से संबंधित पैवेलियन एवं संबंधित गोष्ठी हॉल बनाए गए:


- 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने हेतु तकनीकी प्रदर्शन
- जैविक खेती को समर्पित जैविक महाकुंभ
- सहकारिता को समर्पित सहकार पैवेलियन
- बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक प्रदायक एजेंसियां के लिए समर्पित पैवेलियन
- बागवानी/दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मत्स्यपालन को समर्पित पैवेलियन
- कृषि अनुसंधान एवं विस्तार को समर्पित भाकृअनुप का पैवेलियन
- खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और उत्तर पूर्वी परिषद आदि के लिए भी एक विशेष पैवेलियन बनाया गया।



# नवीन आईसीटी (सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी) एप्स एवं पोर्टल

## वेब पोर्टल-कृषि विज्ञान केंद्र ज्ञान नेटवर्क

- पूसा कृषि- प्रौद्योगिकी मोबाइल ऐप
- मोबाइल ऐप “राइसएक्सपर्ट”
- ई- कपास नेटवर्क और प्रौद्योगिकी दस्तावेजीकरण
- नाशीजीव और रोगों के लिए दलहन विशेषज्ञ
- ई-नाशीजीव निगरानी और बागवानी फसलों के लिए परामर्शदाता व्यवस्था
- ऑनलाइन नाशीजीव मॉनीटरिंग और सलाहकारी सेवा
- नाशीजीव पूर्व चेतावनी ऐप्लिकेशन
- कृषि- डिजिटल डाटा पोर्टल
- विगत चार वर्षों में भाकानुप के अनुसंधान संस्थानों द्वारा विभिन्न कृषि तकनीकियों, पशुधन प्रबंधन, मत्स्य प्रबंधन आदि विषयों पर 130 से अधिक तकनीकी एप्स विकसित किए गए हैं।




## नए आईसीएआर पुरस्कार स्थापित


पुरस्कार का नाम (संख्या)	शुरुआत का वर्ष	पुरस्कार का मूल्य
1) आईसीएआर प्रशासनिक पुरस्कार (तकनीकी, प्रशासनिक एवं सहायक श्रेणियों में प्रत्येक के लिए 3 पुरस्कार)	2014	प्रत्येक को रु. 51000 /—
2) हलधर जैविक किसान पुरस्कार (1)	2015	रु. 1,00,000 /—
3) पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार (1 राष्ट्रीय एवं 11 क्षेत्रीय पुरस्कार)	2016	राष्ट्रीय : रु. 1,00,000 /— क्षेत्रीय : रु. 51000 /— प्रत्येक
4) पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार (1 राष्ट्रीय तथा 11 क्षेत्रीय पुरस्कार)	2016	राष्ट्रीय : रु. 25,00,000 /— क्षेत्रीय : रु. 2,25,000 /— प्रत्येक

# जलवायु अनुकूलनशीलता और टिकाऊ कृषि उत्पादकता हेतु पहलें

जारी की गई जलवायु अनुकूलन किस्मों की संख्या जो अजैविक कारकों के प्रति सहिष्णु/प्रतिरोधक हैं



## विकसित किए गए एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल (आईएफएस) की संख्या



वर्ष 2014-18 की अवधि में कुल 31 एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल विकसित किए गए जो पिछले चार वर्षों की तुलना में 121.4 प्रतिशत अधिक है।


- समीक्षाधीन अवधि के दौरान खेत उत्पादकता एवं लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए 31 बहु-उद्यम आईएफएस मॉडलों का विकास किया गया है जिनमें खेत एवं बागवानी फसलें, कृषि-वानिकी, पशुधन, मात्स्यिकी शामिल हैं और जो देश के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्रों के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए उपयुक्त हैं।
- एकीकृत कृषि प्रणाली लाभप्रदता, आजीविका के अर्जन तथा जोखिम को न्यूनतम करने से संबंधित है। यदि आईएफएस मॉडलों का समर्पित स्कीमों के जरिये कार्यान्वयन किया जाता है तो ये किसानों की आय को दोगुना करने में उपयोगी हैं।
- एकीकृत कृषि प्रणाली युक्ति से किसानों की आय बढ़ कर 1.5-3.6 लाख रुपये प्रति वर्ष हो सकती है।
- केरल सरकार ने 2017-18 से 2018-19 की अवधि में 2300 मॉडल स्थापित करने के लिए (2 मॉडल प्रति पंचायत की दर से) 1470 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।
- एकीकृत कृषि प्रणाली के उपयोग से प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के समय भी स्थिर आय की प्राप्ति सुनिश्चित हुई।
- मॉडल द्वारा 3 वर्षों का औसत शुद्ध लाभ: रु. 2.5 लाख रहा



इन मॉडलों को भाकृअनुप के विभिन्न संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं 662 केवीके के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने हेतु देश भर में अग्रिम प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

### केवीके द्वारा 151 जलवायु अनुकूल गांव स्थापित किए गए

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि-सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग एक साथ मिलकर देश भर में 100 जलवायु अनुकूल एकीकृत कृषि प्रणालियों हेतु प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना करने के लिए कार्य कर रहे हैं।



निक्रा-एनएमएसए इंटरफेस कार्यशाला

- विश्व बैंक के सहयोग से महाराष्ट्र के 5000 गांव सम्मिलित किए गए
- ओडिशा ने भी भाकृअप के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया
- जम्मू एवं कश्मीर के लिए संकल्पना (कांसेप्ट) नोट तैयार किए गए

### जलवायु की संवेदनशीलताओं पर ध्यान देने के लिए कृषि आकस्मिकता योजनाओं के तहत


- छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए फार्म मशीनरी की कस्टम हायरिंग की व्यवस्था की गई
- परियोजना के अन्तर्गत कुल 6803 किसानों के खेत पर (3431 हैक्टैयर क्षेत्रफल) तकनीकियों के प्रदर्शन किए गए
- कुल 722 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 27887 किसानों ने भागीदारी की
- परियोजना के अन्तर्गत 4605 निक्रा किसानों को स्मार्ट किसान प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए
- एनएमएसए के तहत उन्नयन के लिए 27 जलवायु अनुकूल प्रचलनों की पहचान की गई

## जिला आकस्मिक योजना


623 जिला आकस्मिक योजनाएं विकसित की गईं: इसमें बागवानी, पशुधन, कुक्कुट पालन, मात्स्यिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मौसम विपदा हेतु प्रौद्योगिकी उपाय शामिल हैं।

इन आकस्मिक योजनाओं में प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के मामले में चुनी जाने वाली वैकल्पिक फसल किस्मों/फसलों और किए जाने वाले कृषि उपायों के संबंध में सूचना होती है। इसके अतिरिक्त, पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्यपालन में आकस्मिक स्थितियों के लिए कार्य-नीतियां भी शामिल की गई हैं।

आकस्मिक योजनाएं भाकृअप/कृषि एवं सहकारिता विभाग की वेबसाइटों [http:// farmer.gov.in/](http://farmer.gov.in/) और <http://agricoop.nic.in/acp.html>, <http://crida.in/> पर उपलब्ध है और सभी राज्यों के कृषि विभागों को परिचालित की गई हैं।



## जैविक खेती के लिए विकसित की गई कृषि तकनीकियों के पैकेज



वर्ष 2014-18 की अवधि में कुल विकसित जैव तकनीकों की संख्या 33 जो पिछले चार वर्षों की तुलना में 83.3 प्रतिशत अधिक है।

जैविक खेती की इन तकनीकियों को देश भर के 20 राज्यों, जिनमें पूर्वोत्तर के भी सभी राज्य शामिल हैं, में जैविक खेती पर समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के केन्द्रों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसानों के खेत में प्रदर्शित किया जा रहा है।

## भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा (नई दिल्ली) में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय फिनोमिक्स (National Phenomics Facility) का लोकार्पण

माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय फिनोमिक्स सुविधा समर्पित की। यह सुविधा फसल विज्ञान सहित कृषि में नवीनतम अनुसंधानों को बढ़ावा देने के अलावा विभिन्न कृषि फसलों पर बदलते हुए जलवायु के प्रतिकूल प्रभावों को नियंत्रित करने में वरदान सिद्ध होगी।



## डिजिटल पोर्टेबल मृदा परीक्षण किट व मिनी लैब (मृदा परीक्षक)


- मृदा स्वास्थ्य कार्ड के सभी 12 मृदा मानकों की माप करने में सक्षम (pH, EC, OC, उपलब्ध N, P, K, S and Fe, Zn, Cu, Mn & B)।
- यह किट जीपीएस, शेकर एवं बेलेंस से सुसज्जित है यह किट मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का अनुपूरक है।
- यह किट फसल एवं मृदा विशिष्ट उर्वरक पोषण अनुशंसाओं, मृदा उर्वरकता की निगरानी एवं ब्लॉक/ग्राम स्तर पर भू उल्लेखित मृदा उर्वरकता मानचित्रों की तैयारी के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्डों के सृजन के लिए मृदा नमूनों के त्वरित विश्लेषण के लिए उपयोगी है। विभिन्न मृदा प्रकारों का उपयोग करते हुए वैधीकरण से एसटीएल की लगभग 90 प्रतिशत सटीकता का पता चला
- परिचालन का क्षेत्र : ग्राम/पंचायत स्तर, केवीके एवं एसटीएल
- 1096 यूनिट से अधिक पहले ही बिक चुकी है।



## जलसंभर के लिए मल्टीपर्पज, इंपलेटेबल, प्लेक्सी रबर बांध

- मृदा क्षरण में कमी लाने, जल भंडारण सुविधा का निर्माण करने, भू जल रिचार्ज बढ़ाने एवं तलछटों का त्वरित एवं सुरक्षित निपटान हेतु जलसंभर के लिए मल्टीपर्पज, इंपलेटेबल, प्लेक्सी रबर बांध का विकास किया। महत्वपूर्ण चरण में सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए तथा खरीफ चावल में 62 प्रतिशत तथा रबी के दौरान 47 प्रतिशत के उपज लाभ के साथ भूजल रिचार्जिंग सुगम बनाने के लिए पारंपरिक चेक डैम की तुलना में यह 22–25 प्रतिशत अतिरिक्त जल का भंडारण कर सकता है। इस प्रौद्योगिकी में सिंचाई उपलब्ध कराने के द्वारा वर्षापूरित कृषि-पारिस्थितिकी प्रणालियों में किसानों को लाभ पहुंचाने की क्षमता है। इसका उपयोग तूफान, सुनामी एवं उच्च ज्वार के दौरान तटीय संकरी खाडियों, नदियों के मुहानों, झरनों एवं धाराओं में किया जा सकता है जिससे कि समुद्री जल के प्रवाह को भूमि में आने से रोका जा सके।
- लागत: लगभग रु. 8 लाख (चौड़ाई 5 मी. x 1.5 मी. ऊंचाई)
- रबर बांध पर निवेश तीन वर्ष की अवधि के भीतर वसूला जा सकता है
- 6 राज्यों (ओडिशा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं झारखंड) में 43 रबर बांधों की स्थापना की।






सौर कृषि प्रणाली में कृषि रसायनों के छिड़काव के लिए  
सोलर पीवी स्प्रेयर का विकास

## एग्रो-वोल्टैक सिस्टम/सौर कृषि (सोलर फार्मिंग)

### एग्रो-वोल्टेक सिस्टम


जमीन के एक टुकड़े से एक ही साथ पीवी माड्यूल के जरिए फसल उगाना  
तथा बिजली पैदा करना



### मॉडल क्षेत्र: 1 हेक्टेयर

- सौर पीवी सृजन क्षमता: 0.5 मेगावाट
- प्रतिदिन बिजली सृजन: 2500 किलोवाट प्रति घंटे
- निवेश: 2.5 करोड़ रुपये
- बिजली से आय सृजन: लगभग 45 लाख रुपये वार्षिक
- प्रणाली की आयु: 25 वर्ष
- लागत रिकवरी का समय: 7 वर्ष
- मूंग उपज: 4.0 कि.ग./हेक्टेयर



सौर कृषि प्रणाली में स्व-स्थाने मृदा आर्द्रता  
संरक्षण के लिए रिज फरो बीज ड्रिल



# आय और पोषणिक सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक कृषि प्रौद्योगिकियां

कुक्कुट की 4 घरेलू प्रजातियां विकसित और जारी की गईं जिनका अंडों का उत्पादन स्थानीय/देशी नस्ल (50–70 अंडा प्रति वर्ष) की तुलना में दोगुना है

किसानों और विकास एजेंसियों को दिए गए पौल्ट्री सीड



**झारसिम**—झारखंड और बिहार के लिए बहुरंगी ग्रामीण पक्षी (अंडों का वार्षिक उत्पादन—ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत: 120–130 अंडे)

**नर्मदा निधि**—मध्य प्रदेश राज्य के लिए दोहरे प्रयोजन वाला रंगीन ग्रामीण कुक्कुट पक्षी (अंडों का वार्षिक उत्पादन—ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत: 180 अंडे)

**कामरूप**—असम राज्य के लिए बहुरंगी ग्रामीण पक्षी (अंडों का वार्षिक उत्पादन—ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत: 118–130 अंडे)

**हिमसमृद्धि**—हिमाचल प्रदेश के लिए स्थल विशिष्ट ग्रामीण नस्ल (अंडों का वार्षिक उत्पादन—ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत: 140–150 अंडे)




5,000 से अधिक किसान परिवारों को सीड दिया गया जो देश के विभिन्न राज्यों (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सहित) में लाभान्वित हुए

इसके अतिरिक्त इस दौरान भाकृअनुप द्वारा शुष्क क्षेत्रों के अनुकूल भेड़ की एक उन्नत नस्ल 'अविशान' का भी विकास किया है जो भेड़ पालकों की आय बढ़ाने में सक्षम है।


## शूकर की नई उन्नत नस्लें विकसित

शूकर की 9 उन्नत नस्लें विकसित कर जारी की गईं। विकसित संकर नस्लें स्थानीय नस्लों की तुलना में 8 माह की उम्र में 30–35 किग्रा अतिरिक्त शारीरिक भार प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही स्थानीय नस्लों में 5 की तुलना में बच्चों की संख्या का आकार 8 से अधिक होती है। जीवित भार के आधार पर यह उन्नत नस्लें किसान की आय दोगुनी करने में सक्षम हैं।



एचडी-के 75, रानी एवं आशा, झारखंड में झारसुक, केरल में मनोथी व्हाइट, मेघालय में लमसियानिंग, तमिलनाडु में तानुवास गोल्ड शूकर संकर नस्ल (लार्ज व्हाइट यार्कशायर X देशी), तेलंगाना में (लार्ज व्हाइट यार्कशायर X देशी) एवं “एसवीवीयू-टी 17 शूकर की संकर नस्ल” एवं लेंडली शूकर की संकर नस्ल

## विकास एजेंसियों एवं किसानों को शूकर की उन्नत नस्लों के बच्चों (Piglets) का वितरण




उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एवं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड राज्यों के 3000 से अधिक किसान परिवारों को बीज उपलब्ध कर लाभ पहुंचाया गया।



## विभिन्न रोगों के निदान हेतु पशु टीकों का विकास

विकसित टीकों की संख्या



पीपीआर, शीप पॉक्स, एक्वीहरपाबोट, अद्यतन अश्व इन्फ्लूएंजा, क्लासिकल स्वाइन ज्वर और जोहनी रोग के लिए टीकों का विकास किया गया।



## पशु रोगों के लिए विकसित की गई नैदानिक किट

निम्नलिखित के लिए नैदानिकी विकसित: जापानी एंसेफेलिटिस (जेई), ब्रूसेल्लोसिस, एफएमडी, थेलिलेरोसिस, लिस्टेरोसिस, एवियन इन्फ्लूएंजा, नवजात शिशुओं में ई. कोली, ईएचवीआई और 4 संक्रमण में प्रभेद करने के लिए किस्म विशिष्ट एलाइजा किट, इक्वाइन पाइरोप्लाज्मोसिस, पीपीआर एंटीजन के लिए सेंडीविच एलाइजा आदि।



आईसीएआर-निवेदी ने ब्रूसेल्लोसिस के विरुद्ध एलाइजा किट का विकास करने के लिए डीबीटी जैव तकनीक उत्पाद पुरस्कार प्रदान किया

## मत्स्य उत्पादन प्रौद्योगिकियां

वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों के प्रजनन एवं बीज उत्पादन तकनीकों का विकास किया गया तथा खुला समुद्र पिंजरा जलजीव पालन के लिए मछुआरों को बीज वितरित किया गया।

### समुद्री:

- कोबिया (रेचिसेंट्रॉन केनाडम)
- सिल्वर पोम्पानो (ट्रैचीनोटस ब्लॉची)
- इंडियन पोम्पानो (ट्रैचीनोटस मूकालै)
- ऑरेंज स्पॉटेड ग्रूपर (एपिनेफेल्स कौइड्स)



**खारा जल:** क्रिसेंट पर्च (टेरापौन जारबुआ)

**शीतल जल:** इंडियन ट्राउट (रायमास बोला)




इंडियन पोम्पेनो


## मछली प्रजनन प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया



## मछली के उत्पाद और मत्स्यन क्राफ्ट तथा गियर को डिजाइन किया गया




## मछली आहार विकसित किया गया




## खुला समुद्र पिंजरा जलजीव पालन—एक विशिष्ट उपलब्धि



- कोबिया (रेचिसेट्रॉन केनाडम) और सिल्वर पोम्पानो (ट्रैचीनोटस ब्लॉची) का समुद्री पिंजरा पालन—प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन
- 6 महीने में 3.0 टन का औसत उत्पादन स्तर प्रदर्शित किया गया (6 मी. व्यास x 6 मीटर गहरा) 25-30 कि.ग्रा./मी.<sup>3</sup>
- कोबिया और पोम्पानो के लिए उत्पादन की लागत 180 रु. प्रति कि.ग्रा.। फार्म के द्वार पर मूल्य 350/- प्रति कि.ग्रा. (कोबिया) और 300/- रु. प्रति ग्राम (सिल्वर पोम्पानो)
- भाकृअनुप-केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसन्धान संस्थान की तकनीकी सहायता से भारत के समूचे तट पर 1095 पिंजरे स्थापित किए गए जो अब मछुआरों द्वारा प्रबंधित किए जा रहे हैं।



## भारत से खोजी गई मछली की प्रजातियों का लक्षण- वर्णन और उनसे पोषक औषधीय पदार्थों का विकास



## कार्य-क्षमता बढ़ाने एवं लागत कम करने के लिए स्वदेशी मछली आहार संरचना विकसित की गई



## जलीय जीवों से पोषक औषधीय पदार्थों (न्यूट्रास्यूटिकल्स) का विकास

मानव स्वास्थ्य के लिए विभिन्न उच्च मूल्य के यौगिक एवं न्यूट्रास्यूटिकल तैयार किये गए तथा उनका वाणिज्यीकरण भी किया गया, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- दर्द एवं अर्थराइटिस के लिए—ग्रीन मसल अर्क (कडलमीन™ जीएमई), ग्रीन शैवाल अर्क (कडलमीन™ जीएई)
- समुद्री खरपतवार एंटीडाइबेटिक अर्क (कडलमीन™ एडीई)—टाइप-2 डाइबेटीज के लिए एक ग्रीन औषधि
- समुद्री खरपतवार मोटापा—रोधी अर्क (कडलमीन™ एसीई)—मोटापा / डिसलिपिडेमिया को रोकने के लिए एक न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद
- सूक्ष्मपोषकत्व बढ़ाने के लिए—समुद्री खरपतवार न्यूट्रास्यूटिकल पेय 'न्यूट्रिड्रिंक'




## नई पीढ़ी के मछली पकड़ने के जहाज का विकास

नई पीढ़ी के डिजाइन, ईंधन-किफायती और बहु-उपयोगी मछली पकड़ने का जहाज तैयार कर प्रयोग में लाया गया।

महाजाल से मछली पकड़ना (ट्रॉलिंग) गिल-नेटिंग और लॉग-लाइनिंग के लिए बहु-प्रयोजन वाले मछली पकड़ने का जहाज



उत्पादन लागत कम करने, कृषि आय में सुधार लाने और कठिन परिश्रम को कम करने के लिए अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकियाँ



क्र.सं.	विवरण	(2010-14)	(2014-18)
1.	विकसित किए गए कृषि उपकरण/प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों की संख्या	180	183
2.	व्यवसायीकृत प्रौद्योगिकियों/फर्मों के साथ हस्ताक्षरित लाइसेंस करारों की संख्या	51	68
3.	कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए प्रशिक्षित ग्रामीण युवकों की संख्या	255	885
4.	आयोजित नए कृषि उद्यमिता विकास प्रशिक्षणों की संख्या	97	113
5.	नए स्थापित कृषि-प्रसंस्करण केंद्रों की संख्या	24	51

## स्टार्ट-अप/कृषि-उद्यमियों को भाकृअप की सहायता

भाकृअप ने 25 संस्थानों में स्थापित एग्री-बिजनेस इनक्यूबेशन केंद्रों के एक नेटवर्क में प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन कार्यकलाप तथा टेक्नो-उद्यमियों को शिक्षित बनाने के लिए एक मजबूत सहायता तंत्र विकसित किया है। भाकृअप के संस्थान देश भर में 194 स्टार्ट-अप/कृषि उद्यमियों की सहायता कर रहे हैं। इन कृषि-उद्यमियों/स्टार्ट-अप कंपनियों में से 17 कंपनियों ने 19 मार्च, 2018 को राष्ट्रपति भवन में नवोन्मेषण एवं उद्यमशीलता (एफआईएनई) समारोह में भाकृअप संस्थानों के संपूर्ण सहयोग से अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। इस समारोह का उद्घाटन भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द जी ने किया।


स्टार्ट-अप उद्यमी, डॉ. चैत्रा नारायणन, कर्नाटक के कुशाल नगर की मेसर्स कोडागु एग्रीटेक, भाकृअप-भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के डॉ. एम आनंदराज, आर दिनेश एवं वाई के बिनी की एक टीम एवं 15 अन्य कृषि उद्यमियों ने अपनी पहल के बारे में एक संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत किया।



भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा नवोन्मेषण एवं उद्यमशीलता समारोह का उद्घाटन



स्टार्ट-अप उद्यमी महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष अपनी प्रौद्योगिकी प्रस्तुत करते हुए।





## किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कार्यनीति

### सात सूत्री कार्यनीति

माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने एक लक्ष्य रखा है अर्थात् वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सात सूत्री कार्यनीति का समर्थन भी किया है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सात सूत्री कार्यनीति :-

- 1 "प्रति बूंद अधिक फसल" प्राप्त करने के उद्देश्य से पर्याप्त बजट के साथ सिंचाई पर विशेष जोर देना।
- 2 प्रत्येक खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य पर आधारित गुणवत्तायुक्त बीजों एवं पोषक तत्वों का प्रावधान करना।
- 3 फसल पश्चात हानियों को रोकने के लिए भंडारगारों एवं कोल्ड चेन के निर्माण में अत्यधिक निवेश करना।

- 4 खाद्य प्रसंस्करण के जरिए मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना।
- 5 राष्ट्रीय कृषि मण्डी का सृजन, विसंगतियों का निराकरण और 585 मंडियों में ई-प्लेटफार्म की स्थापना।
- 6 उचित कीमत पर जोखिमों को कम करने के लिए नई फसल बीमा स्कीम को शुरू करना।
- 7 कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन जैसे सहायक क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

किसानों के लिए ज्यादा लाभार्थ तारतम्य बैठाने के लिए सरकार की विभिन्न स्कीमें :

### 1 उत्पादकता लाभ के माध्यम से उच्च उत्पादन के लिए

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)  
— मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, पोषक



माननीय प्रधान मंत्री ने किसानों की आय में सुधार के लिए चार पहलुओं का उल्लेख किया है, जैसे (1) इनपुट लागत को कम करना, (2) उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना, (3) अपव्यय को कम करना और (4) आय के वैकल्पिक स्रोत तैयार करना।

तत्वों से युक्त मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलें।

- बागवानी समेकित विकास मिशन (एमआईडीएच) —बागवानी फसलों की उच्च वृद्धि दर।
- तिलहन और ऑयलपाम के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमओओपी) —तिलहन और ऑयलपाम के उत्पादन में वृद्धि के लिए एनएमओओपी (वर्ष 2014–15 में शुरू किया गया)।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन — स्वदेशी पशु और भैंसों के जीन पूल के विकास और बढ़ी हुई उत्पादकता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन (दिसंबर 2014 में शुरू किया गया)।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन — राष्ट्रीय पशुधन

मिशन 2014–15 में शुरू की गई। पशुधन, विशेष रूप से छोटे पशु (भेड़/बकरी, मुर्गी आदि) एवं गुणवत्ता वाले फीड और चारा की पर्याप्त उपलब्धता के साथ-साथ विकास सुनिश्चित करने के लिए।

- नीली क्रांति—समेकित इन लैंड तथा समुद्री मत्स्य पालन संसाधनों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2015 में मत्स्य पालन विकास के लिए “नीली क्रांति” स्कीम की घोषणा की।

## 2 खेती की लागत में कमी के लिए

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) (2 साल चक्र)— उर्वरक का समझदारी से और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।



- नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग को नियमित करने, फसल में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाने तथा अनावश्यक उर्वरक अनुप्रयोग की लागत कम करने के लिए इसे बढ़ावा दिया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) – सिंचाई आपूर्ति शृंखला में स्थायी समाधान मुहैया कराने के लिए जिसमें जल स्रोत वितरण नेटवर्क और खेत स्तर पर अनुप्रयोग शामिल हैं, 'हर खेत को पानी' आदर्श वाक्य के साथ सूक्ष्म सिंचाई घटक (1.2 मिलियन हेक्टेयर/ वार्षिक लक्ष्य रखा है)।
- परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) – जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एवं इससे मृदा स्वास्थ्य तथा जैविक अंश बेहतर होंगे। इससे किसान की कुल आमदनी बढ़ेगी तथा बेहतर मूल्य मिलेगा।

### 3 लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए

- राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना (ई-नाम)
- किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर लाभ दिलाने के लिए वास्तविक समय के अनुसार बेहतर मूल्य डिस्कवरी, पारदर्शिता लाकर और प्रतियोगिता का स्तर सुनिश्चित करके कृषि बाजार में क्रांति लाने के लिए यह स्कीम एक नवीन मार्केट प्रक्रिया है। इससे "एक राष्ट्र एक बाजार" की ओर बढ़ेंगे।
- एक नया मॉडल: कृषि उत्पाद एवं पशुधन मार्किटिंग (उन्नयन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2017 को 24 अप्रैल, 2017 में जारी किया गया है। इसमें निजी मार्केट

स्थापित करने, सीधी मार्किटिंग, किसान उपभोक्ता मार्केट, विशेष वस्तु मार्केट, वेअरहाउस कोल्ड स्टोरेज या ऐसी किसी इमारत को मार्केट सब यॉर्ड्स के तौर पर घोषित करने संबंधी प्रावधानों को शामिल करके इसे राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा स्वीकार किया जाना है।

- वेयरहाउसिंग की व्यवस्था तथा फसल के बाद कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना ताकि किसान को मुसीबत में अपना उत्पादन न बेचना पड़े तथा नेगोशिएबल रिसीट के लिए अपने उत्पाद को वेयरहाउस में रखने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कुछ फसलों के लिए अधिसूचित किया गया है।
- संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत तिलहन, दालों तथा कपास की खरीद केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है।
- मार्केट इंटरवेन्सन स्कीम (एमआईएस) उन कृषि एवं बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए है जो नाशीवंत प्रकृति के हैं और जिन्हें पीएसएस के तहत कवर नहीं किया गया है।

### 4 जोखिम प्रबंधन एवं सतत प्रक्रियाएं

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एवं पुर्न संरचित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आर डब्ल्यू सी आई एस) फसल चक्र के सभी चरणों में बीमा कवर उपलब्ध कराता है। इसमें कुछ निर्धारित मामलों में फसल आने के बाद के जोखिम भी शामिल हैं और ये



बहुत कम प्रीमियम दर पर किसानों को उपलब्ध हैं।

- पूर्वोत्तर में मिशन आर्गेनिक खेती (एमओवीसीडी-एनई) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती की क्षमता को देखते हुए यह मिशन शुरू किया गया है।

## 5 संबद्ध क्रियाकलाप

- फसल के साथ, खेती की जमीन पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए “हर मेढ़ पर पेड़” स्कीम वर्ष 2016–17 में शुरू की गई। यह स्कीम उन राज्यों में लागू की जा रही है जिन्होंने इमारती लकड़ी ले जाने के लिए परिवहन नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
- राष्ट्रीय बांस मिशन: कृषि आय के अनुपूरक के रूप में, इस क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला आधारित समग्र विकास के लिए केन्द्रीय बजट 2018–19 में राष्ट्रीय बांस मिशन की घोषणा की गई है।
- मधुमक्खी पालन: किसानों की आय एवं फसलों की उत्पादकता और शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई।
- डेयरी: डेयरी विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण स्कीमें हैं— राष्ट्रीय डेयरी योजना-1 (एनडीपी-1), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) और डेयरी उद्यमिता विकास स्कीम।
- मात्स्यिकी: मात्स्यिकी क्षेत्र में अपार संभावना को देखते हुए जमीन और समुद्रीय दोनों जगहों पर मछली उत्पादन पर विशेष जोर देने वाली बहुआयामी गतिविधियों के साथ “नीलीक्रांति” कार्यान्वित की जा रही है।



## 6 कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई): राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के पुनरुद्धार अर्थात् आरकेवीवाई-रफ्तार के रूप में तीन वर्षों तक जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है जिसका उद्देश्य कृषि व्यवसाय को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास के साथ-साथ बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से लाभकारी आर्थिक गतिविधि के रूप में बनाना है। नए दिशा- निर्देश कृषि-उद्यम और इंक्यूबेशन सुविधाओं को बढ़ावा देने के अलावा उत्पादन व उत्पादनों परांत आधारभूत सुविधा के निर्माण के लिए अधिक आवंटन उपलब्ध कराते हैं।

## 7 ऑपरेशन ग्रीन

- टमाटर, प्याज और आलू ऐसी बुनियादी सब्जियां हैं जिन्हें पूरे वर्ष के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। तथापि जल्द खराब होने वाली मौसमी और क्षेत्रीय जिनसे किसानों और उपभोक्ताओं को इस प्रकार जोखिम का सामना करना पड़ता है जिससे दोनों ही वर्ग प्रभावित होते हैं। इस दिशा में सरकार ने “ऑपरेशन फलड” की तर्ज पर “ऑपरेशन ग्रीन” को शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। “ऑपरेशन ग्रीन” से किसान उत्पादक संगठन, कृषि सभार तंत्र, प्रसंस्करण सुविधाओं और व्यवसायिक प्रबंधन से जुड़े कार्यों का संवर्धन होगा।

## 8 प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना

- भारत सरकार ने 14 वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुरूप 3 मई 2017 को 2016-20 की अवधि के लिए एक नई

केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम — प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (कृषि-समुद्रीय प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण समूह विकास स्कीम) को मंजूरी दी है। इस स्कीम का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना: एक व्यापक पैकेज है जिसके तहत खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचनाएं सृजित होगी।
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के तहत निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है
  - मेगा फूड पार्क।
  - समेकित शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना।
  - खाद्य प्रसंस्करण का सृजन/निर्माण एवं क्षमताओं का संरक्षण।
  - कृषि प्रसंस्करण समूह अवसंरचना।
  - खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना।
  - मानव संसाधन एवं संस्थाओं का विकास।

## 9 कृषि में पूंजीगत निवेश

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कोष निधि:

- एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास करना प्रस्तावित है।
- देश में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो सिंचाई फंड।
- मरीन मत्स्यसिक्की एवं मत्स्य पालन क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के



लिए राज्य सरकार, सहकारी समितियों, व्यक्तिगत उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करने के लिए मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) का निर्माण किया गया है।

4. डेयरी प्रसंस्करण और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (डीआईडीएफ) कुशल दूध खरीद प्रणाली के निर्माण के लिए ग्रामीण

स्तर पर प्रसंस्करण और शीतल बुनियादी ढांचे की स्थापना।

5. समेकित भेड़, बकरी, सूअर और कुक्कुट विकास कोष: उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भेड़, बकरी, सूअर और कुक्कुट के एकीकृत विकास, मुर्गी पालन के आधुनिकीकरण और बकरी, भेड़ और सूअर के लिए जिला स्तर पर सीमेन केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण।



# कृषि एवं वानिकी पर चौथी आसियान-भारत मंत्री-स्तरीय बैठक



कृषि एवं वानिकी संबंधी चौथी आसियान-भारत मंत्री स्तरीय बैठक  
12 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली, भारत में हुई और  
सतत सहयोग के लिए कृषि एवं वानिकी के क्षेत्र में  
हमारी भावी पहलों के लिए आगे के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श हुआ।



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
भारत सरकार